सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741231
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

[illegible]	[illegible] 9/-
[illegible]	[illegible] 100/-
[illegible]	[illegible] 500/-
[illegible]	[illegible] 25 [illegible]

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ्त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊसे प्रकाशित।

Visoin Computers- 9838644687

हिन्दी मासिक सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

नवम्बर, 2008 वर्ष 7 अंक 01

नबी का मुअ़जिज़ा

इक प्याला दूध था सब ने पिया
सुफ्फा वालों ने तो जी भर कर पिया
बूहुरैरा ने पिया फिर मेरे हज़रत ने पिया
ये तो था मेरे नबी का मुअ़जिज़ा
अस्सलाम हम सबके आक़ा, अस्सलाम
अस्सलाम हम सबके मौला, अस्सलाम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

दहशतगर्दी	सम्पादकीय	3
कुरआन की शिक्षा	मौलाना मु0 मन्जूर नोमानी	5
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तसनीम	8
कारवाने ज़िन्दगी	मौ0 सै0 अबुल हसन अली	10
हम कैसे पढ़ाये?	डॉ0 सलामत उल्लाह	12
फ़िक़्हे इस्लामी	मौ0 मुजीबुल्लाह नदवी	14
धरती में बिगाड़ पैदा न करो	डॉ0 अब्दुल मुग़नी	16
इस्लामी मुआशरा	समी सुलतानपूरी	20
नेक काम में देर न कीजिये	मुहम्मद तक़ी उस्मानी	22
आपके प्रश्नों के उत्तर	इदारा	26
मेरी नीयत सच्ची थी	अब्दुल हक़ (अमेरिका)	27
भूगोल	ग्रहीत	30
कुरआन की पारिभाषिक शब्दावली	डॉ0 मु. अहमद	32
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्द	इदारा	37
डाइलॉग की आवश्यकता	मौ0 सै0 अबुल हसन अली	38

दहशतगर्दी (आतंकवाद)

—डा. हारून रशीद सिद्दीकी

दहशत का अर्थ है भय ख़ौफ़, गर्दी का अर्थ है फैलाना, अतः दहशतगर्दी का अर्थ हुआ भय फैलाना। आतंक का अर्थ है भय, वाद का अर्थ है मत, अतः आतंकवाद का अर्थ हुआ भय का मत अर्थात भय फैलाने का मत, बिल्कुल यही अर्थ टिररिज्म (Terrorism) का है। Terror का अर्थ है भय और ism का अर्थ है मत, Terrorism अर्थात भय फैलाने का मत।

कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग जिनकी दृष्टि परिणाम पर नहीं है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से या कुछ सरफिरों के संगठन से संगठित रूप से यह कार्य इस लिये अपनाया है ताकि वह लोगों को भयभीत कर के अपना उल्लू सीधा करें। परन्तु यह बात उस समय सत्य होती जब भयभीत करने वाले साधन केवल मौखिक मिथ्या होते, देखा यह जा रहा है कि भय भीत करने के साधन बड़े महंगे हैं, यह जो बम विस्फोट किये जाते हैं उन बमों की सामाग्री जुटाने के लिये बड़े धन की आवश्यकता होती है, यह धन कुछ धनवान ही उपलब्ध कराते हैं लेकिन अपने देश के धनवानों को इस का क्या लाभ प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। बल्कि आतंक से जो वातावरण बनता है उसे कोई धनवान पसन्द नहीं करता, इस कारण कि उस वातावरण में उन के धन तथा सम्पत्ति के नष्ट होने का भय रहता है। फिर यह बम बनाने का सामान कौन उपलब्ध कराता है? एवं इस दहशतगर्दी से लगे लोगों का खर्च कहां से चलता है? ऐसा लगता है कि विश्व के धनवान तथा बड़ी शक्ति वाले वह राज्य, जो विश्व में शान्ति नहीं चाहते और उपद्रव द्वारा दूसरे देशों को कमजोर कर के, फिर उनका शोषण करके अपनी शक्ति का विस्तार चाहते हैं वही आतंकी तैयार करते है, उनको भारी पारिश्रमिक (उजरत) देकर बम बनाने का सामान या बने बनाये बम उपलब्ध कराके बम विस्फोट कराके बेगुनाहों की जानें लेते तथा देश में भय पैदा करके देश के कारोबार को प्रभावित करते हैं, देश का भारी धन आतंक पर कन्ट्रोल करने में खर्च करवाते हैं, परणिाम स्वरूप अपना देश कमजोर होता है, जिसका लाभ विभिन्न रास्तों से बड़ी शक्तियों को मिलता है।

दहशतगर्दी में वही लोग लगते हैं जो उपद्रव प्रियथी तथा धन के लोभी हैं चाहे उन के नाम अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान हों या रामदास तथा भगवानदास हों। ऐसे लोगों का किसी धर्म से कोई सम्बंध नहीं होता। इस्लाम धर्म में तो किसी को भयभीत करने या अकारण किसी की जान लेने की गुंजाइश ही नहीं है। कुरआन का आदेश है : और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो। (6:151)

हमारे देश में कुछ ऐसी समितियां भी हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों को भयभीत करके उनको हानि पहुँचाने, उन की जानें लेने पर भारी ख़र्च कर रही हैं,वह इस भ्रम में हैं कि इस प्रकार मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे आतंक फैलाने में उनका भी बड़ा हाथ दिखता है जैसा कि अख़बारों में शिवसेना, बज़रंगदल और हिन्दू वाहनी के बारे में आता रहता है परन्तु याद रहे कि अगर कोई मुस्लिम इस की प्रतिक्रिया में आतंकी बनने का निर्णय लेता है तो वह इस्लाम धर्म का विरोध करता है तथा वह कठोर दण्ड का भागी होगा। मुसलमानों का रोल आतंकवाद के विषय में यह होना चाहिये कि वह आतंकवाद दूर करने में शासन को भरपूर सहयोग दें और स्वंय आतंक रोकने में चेष्टा करें उन की जानकारी में अगर कोई मुसलमान आतंकवाद में रुचि रखता है तो उसे बताएं कि इस्लाम शर्तें पूरी होने पर जिहाद का आदेश तो देता परन्तु आतंक की अनुमति नहीं देता। पर खेद जनक बात यह है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो मुसलमानों को सीधे हानि पहुँचाते तथा उन्हें भयभीत करते हैं और इस कार्य के लिए कोई गढ़ा कारण

निकाल लेते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि किसी मुस्लिम नवयुवक से वास्तव में कुछ चूक हो जाती है ऐसे अवसर पर यह मुस्लिम विरोधी समितयां अत्याचार का बाज़ार गर्म कर देती हैं और मुसलमानों को जानी माली नुक़सान पहुँचा कर मुस्लिम समाज को भयभीत करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखतीं, और उस से दुखदायी बात यह देखने में आती है कि ऐसे अवसरों पर पुलिस का रोल भी पक्षपाती होता है और कितने बेगुनाह मुस्लिम नवयुवकों पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिये जाते है, मैं यह हरगिज़ नहीं कहता कि मुसलमानों से अपराध नहीं होता, जिस प्रकार दूसरे अपराधी हैं मुस्लिम नाम के भी एक से एक अपराधी सुनने में आते हैं परन्तु दुख उस समय होता है जब बिना किये की सज़ा इस लिये मिलती है कि वह मुसलमान है। इन हालात में मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिये? यह एक अहम सुवाल है।

एक मुसलमान को हर हाल में उस के दीन ने उस की रहनुमाई की है अतः उसे तो उस के दीन ने जिस हाल में जो हिदायत (निर्देश) दी है वही करना चाहिये।

कुरआन ने साफ़ साफ़ एअलान कर दिया है : (अनुवाद प्रस्तुत है) क्या इन लोगों ने यह ख़याल कर रखा है कि वह इतना कहने पर छूट जायेंगे कि हम ईमान ले आए और उनको परखा न जायेगा? और हम तो उन लोगों को भी परख चुके हैं जो इन से पहले हो गुज़रे हैं सो अल्लाह तआला तो सच्चों और झूटों को ज़ाहिर कर के रहेंगे। (29:2–3)

और देखो हम तुम को अवश्य परखेंगे, कुछ भय से, कुछ भूख से, जान माल और पैदावार की कमी से और (ऐ मुहम्मद) आप ख़ुशख़बरी (शुभ सूचना) सुना दीजिये ऐसे सब्र करने वालों को जिन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वह कहते है हम तो (अपने धन संतान सहित) अल्लाह ही के हैं, और हम सब उसी ओर जाने वाले हैं।

(2:155–156)

अतः एक ईमान वाला मुसलमान हर मुसीबत पर सब्र करता है और हानि पर चाहे वह जानी हो या माली यही कहता है जिस की चीज थी उस ने ले ली। इस का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान सवाब की नीयत से हर ज़ुल्म सहता रहे, नहीं, हदीस में उस को ज़ालिम का हाथ पकड़ने का भी हुक्म है, उसको अपनी जान, अपना माल, अपनी आबरू, अपनी सन्तान की रक्षा के लिये लड़ने का भी हुक्म है और इस में उस की जान जाए तो वह शहादत का दर्जा पाए। लेकिन उस को ज़ुल्म व ज़ियादती करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है।

अनुवादः ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिये ख़ूब उठने वाले (अर्थात अहकाम की पाबन्दी करने वाले) इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो, ऐसा न हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम को इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो। इन्साफ करो कि वह तक़्वे (धर्म परायणता) से ज़ियादा क़रीब है। अल्लाह का डर रखो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उस की ख़बर है। (अलमाइदह : 8)

आज कल मीडिया द्वारा मुसलमानों पर ज़ुल्म व ज़ियादती की जो ख़बरें आ रही हैं वह दिल दहला देने वाली हैं इस से अधिक अति यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुसलमान ही जेल जाते हैं। मुसलमान का काम संसार से अपराध दूर करना है उस को तो क़ुरआन ने सम्बोधित करके यह कहा है कि "तुम भलाइयों का आदेश देते हो और बुराइयों को रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।" (3:220) अब अगर कोई मुसलमान बुराईयां फैला रहा है तो उस का इस्लाम से नहीं उसकी ज़ात से तअल्लुक़ है जैसा कि दूसरे लोग फ़साद फैला रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सीधे इस्लाम को दोष दिया जा रहा है और जो लोग नेक हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर ज़ुल्म ढाया जा रहा है। इन हालात में सच्चे पक्के मुसलमान साबिर व शाकिर हैं और अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हैं कि हमेशा सच्चाई के दुश्मनों ने सच्चाई वालों को सताया है और हमेशा आख़िरकार सच्चाई वालों को अल्लाह की मदद मिली है और ग़लत राह वालों का परिणाम बुरा हुआ है। मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन (और वै चाल चले तो अल्लाह ने उस का तोड़ किया और अल्लाह उत्तम तोड़ करने वाला है। 3:54)

❑❑

कुरआन की शिक्षा

– मौलाना मु. मन्जूर नोमानी

अदल व इन्साफ

कुरआने–मजीद की दावत व तालीम में जिन अख़लाकी और मुआशरती (सामाजिक) बातों पर बहुत जियादा ज़ोर दिया गया है, उनमें एक अद्‌ल व इन्साफ भी है वास्तव में यह भी सच्चाई व रास्त बाजी ही की एक शाखा है। इसका मतलब यह होता है कि हर शख्स के साथ बिना रू–रिआयत (पक्षपात) वह मआमला किया जाये और उसके बारे में वह खुदा लगती बात कही जाय जिस का वह हक़ीक़त में मुस्तहक़ (पात्र) है। इस अद्‌ल व इन्साफ पर दुनया का निजाम कायम है। जिस कौम और जिस समाज में अद्‌ल व इन्साफ न हो वह खुदा की रह्‌मत से महरूम (वंचित) रहेगी। और दुन्या में भी उन का अन्जाम बहुत ही बुरा होगा। कुरआने–मजीद ने अपनी दावत व तालीम में अद्‌ल व इन्साफ को जो खास दर्जा और मकाम दिया है इसका अन्दाजा सूराए–हदीद की एक आयत से लगाया जा सकता है। इर्शाद हैः–

तर्जमाः– हमने अपने रसूल भेजे, खुले–खुले हुक्मों के साथ और उतारी हमने उन के साथ (हिदायत की) किताबें, और अद्‌ल व इन्साफ का फर्मान। ताकि लोग अपने मुआमलों में अद्‌ल व इन्साफ से काम लें। (अलहदीदः25)

इस आयत में "अल्‌मीजान" से मुराद अद्‌ल व इन्साफ के हुक्म व कानून हैं। इसलिये आयत का मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने रसूलों के साथ जिस तरह मुख़्तलिफ (भिन्न–भिन्न) सहीफे (किताबें) उतारे इसी तरह अद्‌ल व इन्साफ के आदेश भी उतारे ताकि उस के बन्दे उन सहीफों की रौशनी में उसकी बन्दगी के रास्ते पर चलें और अद्‌ल व इन्साफ के आदेशों के मार्गदर्शन में आपस में इन्साफ का मुआमला करें। अतएव इस आयत में "अल्–मीजान" अर्थात अद्‌ल व इन्साफ का जिक्र जिस तरह "अल्–किताब" के साथ किया गया है इससे समझा जा सकता है कि अल्लाह तआला की निगाह में और कुरआने–मजीद की दावत व तालीम में अद्‌ल व इन्साफ की कितनी गैर मामूली (असामान्य) अहमियत है।

कुरआने–मजीद में एक दूसरी जगह भी अल्लाह की किताब के साथ अद्‌ल व इन्साफ के एक फर्मान का जिक्र इसी तरह किया गया है। सूरए–शूरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म है :–

तर्जमाः– ऐ पैगम्बर! आप (उन यहूदियों और ईसाइयों से) कह दीजिये कि मैं ईमान लाया हूँ उस मुकद्‌दस किताब पर जो अल्लाह ने उतारी है और मुझे उसका फर्मान है कि मैं तुम्हारे बीच इन्साफ करूँ। अल्लाह हमारा भी मालिक व रब है और तुम्हारा भी इस आयत में भी अद्‌ल व इन्साफ के फर्मान का जिक्र जिस तरह ईमान बिल् किताब के साथ किया गया है वह कुरआने–मजीद के इशारा–शनासों को यह समझने के लिये काफी है कि कुरआनी दावत व तालीम में अद्‌ल व इन्साफ की कितनी अहमियत है।

और यही वजह है कि सूए–नह्ल में ज़हाँ ईमान वालों को बहुत से अहम अख़लाकी हुक्म दिये गये हैं वहाँ सब से पहला हुक्म इन्साफ ही का दिया गया है। वह रूकूअ शुरू ही इन शब्दों से होता हैः–

तर्जमाः– अल्लाह तआला हुक्म देता है इन्साफ का और अच्छा बरताव करने का। और सूए–अन्‌आम में जहाँ अल्लाह तआला के अहम अवामिर (हुक्मों) व नवाही (मनाही) को एक ही जगह बयान किया है, वहाँ भी अद्‌ल व इन्साफ की ताकीद करते हुये फर्माया गया हैः–

तर्जमाः– जब (किसी झगड़े में) तुम्हें कुछ कहना या फैसला देना हो

तो पूरा इन्साफ करो, अगरचे तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। (अनआम 153)

सूरए–निसाँअ की एक आयत में और अधिक स्पष्ट रूप से सविस्तार बयान किया गया है कि ईमान वालों का फर्ज है कि वे बेलाग (निःपक्ष) इन्साफ करने वाले और खुदा के लिये सच्ची गवाही देने वाले बनें, अगरचे इससे खुद उनको या उनके माँ बाप या अन्य रिश्तेदारों को नुक्सान पहुँचे। इर्शाद हैः–

तर्जमाः– ऐ इमान वालो! हो जाओ खूब इन्साफ पर कायम रहने वाले, और इन्साफ की हिमायत करने वाले, और अल्लाह के लिये सच्ची गवाही देने वाले, अगरचे (वह इन्साफ और वह गवाही) तुम्हारे ही खिलाफ पड़े, या तुम्हारे माँ–बाप और दूसरे सम्बंधियों के खिलाफ पड़े, अगर सम्बंधित पक्ष धनवान है या मुहताज (दोनों शक्लों में) अल्लाह तआला तुम से जियादा उन का खैरखाह (हित चिंतक) है पस तुम इन्साफ करने में अपने नफ्स (स्वार्थ) की पैरवी न करो अगर तुम (किसी की रिश्तेदारी या अमीरी–गरीबी के लिहाज से फैसले में या गवाही में) लाग–लपेट या एच–पेच की बात करोगे या खुदा लगती (सच्ची) बात कहने से बचोगे तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे अमलों से पूरी तरह खबरदार है। (अन्निसाअः135)

अद्ल व इन्साफ के बारे में यह आयत कितनी जामे और कैसी मोहकम (दृढ़) और वाजेह (स्पष्ट) है। फर्माया गया है कि व्यवहार में अद्ल व इन्साफ को और सच्ची खुदा लगती बात कहने को अपना उसूल और नसबुल् ऐन (नियम व सिद्धांत) बना लो। और पूरी दियातनदारी और लिल्लाहियत के साथ इस फर्ज को अदा करो, चाहे इससे खुद तुम को या तुम्हारे रिश्तेदारों को कितना ही नुक्सान पहुँचे। लेकिन अल्लाह के मुकाबले में और सच्चाई व इन्साफ के मुआमले में किसी की जानिबदारी (पक्षपात) न करो। न किसी अमीर की अमीरी (धन दौलत) की वजह से उस की तरफदारी करो और न किसी गरीब की गुर्बत (निर्धनता) व नादारी पर रहम खा कर उस की बेजा (अनुचित) हिमायत करो। इन्साफ और सच्चाई सबसे मुकद्दम (सर्वप्रथम) है। गरीबों की गरीबी को भी अल्लाह तआला तुम से जियादा देखने वाला है, और वही सब का हकीकी मालिक और कर्ता–धरता है। आखिर में यह भी फर्माया कि किसी एक फरीक (पक्ष) की या दोनों फरीकों की नाराजगी से बचने के लिये बात लगी लिपटी और एच–पेच वाली भी न कही जाये और फैसले और गवाही से पहलू तही (बचना) भी न की जाये। ये दोनों बातें भी अद्ल व इन्साफ के खिलाफ और गुनाह हैं।

आखिर में एक आयत सूरए माइदह की और पढ़ लीजिये, जिसमें अद्ल व इन्साफ के हुक्म के साथ यह भी ताकीद की गयी है कि अगर कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन और बदखाह (बुरा चाहने वाले) हों तब भी उनके साथ इन्साफ ही करो। इर्शाद है :–

तर्जमाः– ऐ ईमान वालो! हो जाओ खड़े होने वाले अल्लाह के लिये, कहने वाले अद्ल व इन्साफ के साथ खुदा लगती, और लोगों की अदावत व बदखाही तुम को इस गुनाह के करने पर आमादा न कर दे (यानी किसी की दुश्मनी से प्रभावित होकर तुम ऐसे न हो जाओ) कि उन के साथ बे इन्साफी करने लगो, (इन्साफ ही करते रहो, यही (बात) तक्वा के करीब है। (अलमाइदहः 8)

ऊपर की आयतों में यह ताकीद फर्माई गयी थी कि अपने व्यक्तिगत नफा व नुक्सान के खियाल से, या रिश्तेदारी की वजह से या किसी की अमीरी के लिहाज से या किसी की गरीबी पर तर्स खा कर उसे फायदा पहुँचाने की नियत से कोई बे इन्साफी और जानिबदारी न की जाये बल्कि सिर्फ खुदा की खुशनूदी के लिये और सच्चाई का हक अदा करने के लिये हर मुआमले में अद्ल व इन्साफ किया जाये, और बात सच्ची और खुदा लगती कही जाये। अब सूरए–माँइदह की इस आयत में यह फर्माया गया कि किसी दुश्मन की दुश्मनी की वजह से भी उसके साथ बेइन्साफी न की जाये। बल्कि उस की दुश्मनी और बदखाही के बावजूद मुआमलात में उसके साथ पूरा इन्साफ किया जाये, और किसी मुआमले में वह हक पर हो तो उस की हिमायत की जाये और उस के हक में फैसला दिया जाये यह है कुरआने मजीद की दावत व तालीम, अद्ल व इन्साफ के बारे में।

काश! अगर मुसलमानों में यही एक बात मौजूद होती तो इसमें शक की गुन्जाइश नहीं कि अल्लाह तआला इस दुन्या का इन्तिजाम आज भी इन्हीं के हाथों में देता और मुसीबत–जदा दुन्या इन्हीं को सरबराही के लिये चुन लेती।

समाहत व सखावत

जिन अख्लाकी नेकियों पर कुर्आने–मजीद में खास तौर से जोर दिया गया है उनमें से एक समाहत व सखावत भी हैं जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने किसी बन्दे को जो दौलत व कुव्वत और जो नेमत इस दुन्या में दी है वह उससे खुद ही फाइदा न उठाये, बल्कि अल्लाह के दूसरे बन्दों पर भी उसको खर्च करे और उससे उनको फाइदा पहुँचाये। इसका दाइरा (कार्यक्षेत्र) जाहिर है कि बहुत ही फैला हुआ है और बन्दगाने–खुदा की खिदमत और इआनत (सहायता) की तमाम ही चाजें इसमें शमिल हो जाती हैं। दूसरे जरूरत मंदों पर अपनी दौलत खर्च करना, अपने इल्म–व–फन और अपनी काबलियत (पात्रता) से उनकी कोई खिदमत करना, खुद तकलीफ उठा कर उन के काम कर देना, और जिस मदद के वे मोहताज हों अपने वसायल (साधनों) से उन की वह मदद करना ये सब शक्लें समाहत व सखावत ही की शाखें हैं। और कुर्आने–मजीद ने उस को बुन्यादी नेकी करार दिया है और अलग–अलग उन्वानों से उस की तरगीब दी है। सूरए–बक्रह् के पहले ही रुकूअ् में (जिस को कुर्आने–मजीद का तमहीदी हिस्सा (प्रस्तावना) कहना सही है, कुर्आनी हिदायत से फायदा उठा कर कामयाब होने वाले लोगों की जो बुन्यादी सिफतें बयान की गयी हैं उन में से एक यह भी है कि:–

तर्जमाः– और हमने जो कुछ उनको दिया है वे उसमें से (हमारी राह में दूसरे बन्दों पर भी।) खर्च करते हैं। (अलबकरहः3)

मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि माल व दौलत के अलावा जो खुदादाद (खुदा द्वारा प्रदनित) कुव्वत व ताकत काबलियत और मेहनत वगैरा, अल्लाह के बन्दों को फाइदा पहुँचाने के लिये खर्च की जाये, वह सब भी इस में दाखिल है। फिर इसी सूरए–बक्रह के आखिरी हिस्से में एक जगह इर्शाद फर्माया गया है:–

तर्जमाः– ऐ ईमान वालो! हमने जो कुछ तुम को दिया है उसमें से (हमारी राह में दूसरों पर भी) खर्च करो, इस से पहले कि (कियामत का) वह दिन आ जाये जिसमें न कोई खरीद व फरोख्त होगी, न किसी यार (दोस्त) की यारी न किसी की सिफारिश काम आयेगी। (अलबकरहः254)

और तीन रूकूअ् बाद इसी सूरए बक्रह् में राहे–खुदा में अपनी दौलत व् ताकत खर्च करने की तरगीब देते हुये उस के फाइदे और उसके अज्र व सवाब के बारे में फर्माया गया है:–

तर्जमाः– और जो अच्छी चीज तुम (अल्लाह के बंदो पर) खर्च करोगे, उसका नफा और सवाब तुम ही को पहुँचेगा, और तुम्हारा खर्च करना अल्लाह ही के वास्ते होना चाहिये, और जो अच्छी चीज भी तुम खुदा के रास्ते में खर्च करोगे, तुमको उसका पूरा–पूरा बदला मिलेगा और तुम्हारी कोई हक–तलफी न होगी। एक दो आयतो के बाद फिर इर्शाद हुआ है:–

तर्जमाः– जो बन्दे खर्च करते हैं (अल्लाह की राह में दूसरों पर) अपना सरमाया (धन–पूंजी) रात में और दिन में खुफ्या और अलानिया, पस उनके वास्ते उनके रब के हाँ (जन्नत में उन का अज्र है (जो उस करीम रब की शान के लाइक है) और (उन का हाल यह होगा कि) न उन्हें कोई खौफ होगा और न वे गम्गीन होंगे।

खुदा के रास्ते में, अल्लाह के दूसरे बन्दों पर अपनी चीजें खर्च करने की तरगीब के सिल्सिले में एक बात कुर्आने–मजीद ने यह भी कही है कि इस राह में खर्च करने वाला जितना खर्च करेगा अल्लाह की तरफ से उस का सैकड़ों गुना उस को दिया जायेगा। इसलिये इस राह में खर्च करना मानो एक बहुत ही फाइदा देने वाली तिजारत और एक ऐसी खेती है जिससे एक–एक दाने के बदले में हजारों दाने काश्तकार को हासिल होते हैं।

❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तसनीम

गनी वह है जो दिल का गनी है

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फरमाया, दौलत व इस्तिग्ना माल की कसरत से नहीं होता। दौलत दिल की दौलत है। (बुखारी–मुस्लिम)

हजरत हकीम बिन हिजाम से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया, आपने मुझे दिया, मैने फिर माँगा, आपने दिया और फरमाया, ऐ हकीम, यह माल सरसब्ज है। जो इसको बेपरवाही के साथ लेगा तो बरकत न होगी। और यह ऐसी मिसाल है कि एक आदमी खाता है और सेर नहीं होता और यह ऊँचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह! उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है। मैं जिन्दगी भर आपके बाद किसी से कुछ शै लेकर उसके माल में कमी न करूँगा।

हजरत अबू बक्र (र0) अपनी खिलाफत के जमाने में हजरत हकीम (र0) को बुलाते थे और उनको कुछ देना चाहते थे तो वह इन्कार करते थे। फिर हजरत उमर (र0) ने अपने जमाने खिलाफत में उनको दिया। उन्होंने उनसे भी इन्कार किया। हजरत उमर (र0) ने कहा, ऐ मुसलमानो! मैं तुमको हकीम के मुआमले में गवाह करता हूँ कि मैं इनको वह हक देता हूँ जो माले गनीमत में इनके लिए रक्खा है। और यह इन्कार करते हैं।

हजरत हकीम (र0) ने नबी (स0) के बाद वफात पाने तक किसी से कुछ नहीं लिया। (बुखारी–मुस्लिम)

हजरत अबू मूसा (र0) का अपने जिहाद का तजकिरः करके पशीमान होना।

हजरत अबू बरदः (र0) से रिवायत है कि अबू मूसा (र0) अश्अरी फरमाते हैं कि एक गज्वः में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ गये। एक ऊँट था उस पर यके बाद दीगरे सवार होते थे लोगों के पाँव में सूराख हो गये, और मेरे पाँव के तो नाखून तक गिर गये थे। तो हम लोगों ने पैरों पर चीथड़े बाँध लिये। इसलिए उस गज्वः का नाम जातुर्रिकाअ रख दिया। हजरत अबू बरदः (र0) कहते है कि यह वाकिअः बयान करके अबू मूसा (र0) को अफसोस हुआ कि मैंने यह तजकिरः क्यों किया। गोया उन्होने अपने नेक अमल को जाहिर करना नापसन्द किया।

दिल के गनी

हजरत अम्र (र0) बिन तगलिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास माल या कैदी आये। आपने इस तरह तकसीम किया कि बाज को दिया और बाज को नहीं दिया। बाद में आपको खबर मिली कि जिनको नहीं दिया वह नाराज हैं। आपने अल्लाह की तारीफ और सना बयान की; फिर फरमाया, खुदा की कसम मैं बाज को देता हूँ और बाज को नहीं। वह मुझे जियादः महबूब है उस शख्स से जिसको देता हूँ। लोगों को उस वक्त देता हूँ जब उनके दिलों में घबराहट और बेचैनी पाता हूँ जिनको नहीं देता, उनको इस इतमीनान पर नहीं देता कि अल्लाह तआला ने उनका दिल गनी कर दिया है और खैर रक्खी है। उन्ही में अमर बिन तगलिब हैं। अमर बिन तगलिब कहते हैं, खुदा की कसम मुझे हुजूर (स0) की यह बात सुर्ख ऊँटों से जियादः महबूब है। (बुखारी)

ऊँचा हाँथ नीचे हाथ से बेहतर है

हजरत हकीम (र0) बिन हिजाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फरमाया, ऊँचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है। और खर्च की इब्तिदा उससे करो जिसके तुम जिम्मेदार हो और बेहतर सदका वह है जो अपने लिए बकदरे जरूरत रखकर दिया जाये।

और जो खुद्दार रहना चाहेगा, अल्लाह उसको खुद्दार रक्खेगा। जो गनी रहना चाहेगा, अल्लाह उसको गनी रक्खेगा।

(मुस्लिम)

पीछे पड़कर सवाल करना

हजरत मआवियः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, लग–लिपट कर न माँगो। खुदा की कसम अगर तुममें से कोई मुझसे कुछ माँगेगा और मैं उसको नाराज होकर दूँगा तो उसमें बरकत न होगी।

(मुस्लिम)

किसी से सवाल न करने पर बैअत

हजरत औफ (र0) बिन मालिक अशजअी से रिवायत है कि हम आठ नौ आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पर बैअत क्यों नहीं करते? हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम तो आपके हाथ पर अभी अभी बैअत कर चुके हैं। फिर आपने फरमाया तुम लोग रसूलुल्लाह से बैअत क्यों नहीं करते? हमने अपने हाथ फैला दिये और अर्ज किया या रसूलल्लाह! हम तो आपके हाथ पर बैअत कर चुके हैं, अब किस बात पर करें। आपने फरमाया, इस बात पर कि अल्लाह की अिबादत करोगे। उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओगे। पाँचों नमाज का ख्याल रक्खोगे, अल्लाह की इताअत करोगे, और एक बात चुपके से कही वह यह कि लोगों से कुछ न माँगोगे। (रावी कहते हैं) मैंने उन्हीं में से बाजों को देखा है कि अगर उनका कोड़ा भी गिर जाता था तो वह किसी से उठाने को नहीं कहते थे, कि यह भी सवाल में दाखिल है।

(मुस्लिम)

सायल के चेहरे पर कियामत में गोश्त न होगा

हजरत इब्नि उमर (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) ने फरमाया, बाज आदमी बराबर सवाल करते रहते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह तआला के सामने ऐसी हालत में हाजिर होंगे कि उनके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा न होगा।

(बुखारी–मुसिलिम)

हजरत इब्नि उमर (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) मिम्बर पर तशरीफ लाये सदका और सवाल से बचने को फरमाया और फरमाया, ऊँचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है, ऊँचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है। ऊँचा हाथ देने और नीचा हाथ लेने वाला होता है।

(बुखारी–मुस्लिम)

जमा करने के लिए माँगना

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो लोगों से जमा करने के लिए माँगता है वह आग की चिनगारी माँगता है उसको इख्तियार है जियादः चिनगारियाँ जमा कर ले या कम।

माँगने की इजाजत कब है

हजरत समुरः (र0) बिन जुन्दुब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, सवाल आदमी के चेहरे को छील देता है। मगर यह कि आदमी मुसलमान हाकिम से माँगे और जरूरत पर माँगे।

(तिर्मिजी)

अल्लाह के सामने अपनी जरूरियात पेश करना

हजरत इब्नि मस्ऊद (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) ने फरमाया, किसी शख्स को कोई फाका पेश आये, अगर वह उस फाके को लोगों के सामने पेश करे तो उसका फाका जाइल न होगा और अगर अल्लाह के सामने पेश करेगा तो उसको जल्द या बदेर रिज्क अता होगा।

(अबू दावूदः तिर्मिजी)

सवाल न करने पर जन्नत की जिम्मेदारी

हजरत सौबान (र0) से रिवायत है कि रसुलुल्लाह (स0) ने फरमाया, जो इस बात का अहद कर ले कि

मैं लोगों से किसी किस्म का सवाल न करूँगा तो मैं उसके लिए जन्नत का जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा, मैं (ऐसा करूँगा) फिर मैंने किसी से कुछ नहीं माँगा।

(अबू दावूद)

सवाल किसके लिए जाइज है

हजरत कुबैसः (र0) से रिवायत है कि मैंने कुछ माल की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। मैं रसूलुल्लाह (स0) की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे इस बारे में सवाल किया। आपने फरमाया, इतना ठहरो किं सदका का माल आ जाये, तो मैं तुमको दूँगा। फिर फरमाया, ऐ कुबैसः (र0) सवाल तीन आदमियों के अलावः किसी को जाइज नहीं। (1) ऐसा आदमी जो किसी बात का जिम्मेदार हो तो उसको माँगना जाइज है। मगर इतना जो उसकी जरूरत को काफी हो। (2) ऐसा शख्स जिसको कोई सख्त हादिसा या माली नुकसान पहुँचा हो तो उसको इस कदर माँगना जाइज है जिसमें गुजर–बसर कर सके, या यह फरमाया कि जिन्दगी बसर करने का सामान उसको मिल जाये। (3) ऐसा आदमी कि जिसको सख्त जरूरत पेश आये और उसकी कौम के तीन मुअतबर आदमी कहें कि यह सख्त हाजतमन्द है, तो उसको माँगना जाइज है। इसके सिवा हर एक पर सवाल हराम है। जो माँगकर खाये वह हराम खा रहा है।

मिस्कीन व गरीब कौन है

हजरत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) ने फरमाया, वह मिस्कीन नहीं है जो लोगों के पास एक लुकमः या दो लुकमः, एक खजूर या दो खजूरों के लिए आये जाये। मिस्कीन वह है जिसके पास इतना न हो जो उसके लिए काफी हो और लोगों को उसके हाल की खबर भी न हो कि उसको सदका दे। और वह मजमे में खड़ा होकर शर्म व गैरत की वजह से सवाल भी न कर सके।

(बुखारी–मुस्लिम)

बे माँगे मिले तो लेना जाइज है

हजरत सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर (र0) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (स0) मुझे कुछ देते तो मैं अर्ज करता कि मुझसे जियादः जो मुहताज हो उसको दीजिये। आप फरमाते, इसको ले लो, जब तुम्हारे पास ऐसा माल आये जिसमें तुम्हारा दिल नहीं लगा था और न तुमने माँगा था तो उसको ले लिया करो ओर बढ़ाओ। अपने इस्तेमाल में लाओ चाहे सदका करो, और जो ऐसा न हो तो उसके पीछे अपना दिल ने लगाओ। हजरत सालिम कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह किसी से कुछ नहीं माँगते थे मगर जो देता था उसको वापस भी नहीं करते थे।

(बुखारी व मुस्लिम)

❑❑

एक दुआ

ऐ हमारे मालिक, अपने रहीम व करीम, कृपालू तथा दयालू पैगम्बर पर दरूद व सलाम भेज और उन्हों ने जिस प्रकार हम जैसे जाहिलों को दीन सिखाने में अधिक कठिनाइयाँ उठाई हैं, तू ही उन को उस का बदला प्रदान कर, क्यों कि हम तो एक आजिज. असमर्थ बन्दे हैं, जैसे तूने हम को अपने फज्ल से शिर्क व तौहीद का अर्थ खूब समझने की तौफीक. दी और "लाइलाह इल्लल्लाह" का अर्थ खूब समझने की क्षमता दी और मुशरिक लोगों से निकाल कर मुवहि्हद मुसलमान बनाया। उसी प्रकार अपनी कृपा से बिदअत व सुन्नत का अर्थ खूब समझा दे और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमण के अर्थ का भी खूब ज्ञान प्रदान कर और बद मजहबों से निकाल कर पाक सुन्नी और सुन्नत का पालन करने वाला बना। आमीन या रब्बल आलमीन।

मौ0 स्माईल शहीद

अज. तक्वीयतुल ईमान

कारवाने ज़िन्दगी

—मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी (रह0)

ख़िलाफ़त आन्दोलन

अब मैं कुछ–कुछ समझने लगा था। और मेरी उम्र आठ साल की हो चुकी थी कि खिलाफ़त आन्दोलन का लावा हिन्दुस्तान में फूट पड़ा। मुसलमानों का क्या, संवेदनशील और शिक्षित हिन्दुओं का भी कोई घर इस की गूँज से वंचित नहीं रहा। हिन्दुस्तान ज्वालामुखी बना हुआ था। मस्जिदों, मजलिसों, घरों, दुकानों, अकेले दुकेले कहीं इसकी चर्चा के अलावा और कोई चर्चा नहीं थी। हमारा शहर लखनऊ जो शुरू से राजनीतिक आन्दोलनों का केन्द्र रहा है इस आन्दोलन में भी आगे आगे था। इस आन्दोलन के एक बड़े लीड़र मौलाना अब्दुल बारी साहब इसी शहर के रहने वाले थे। जिनका निवास महल सराय फिरंगी महल, इस आन्दोलन के हिन्दू मुस्लिम लीडरों की लखनऊ में ठहरने की जगह थी। ख़ुद गाँधी जी वहीं ठहरा करते थे। और मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली के तो वह पीर (गुरु) थे। बड़े–छोटे, बूढ़े–बच्चे, मर्द–औरत की जबान पर यह शेर था।

बोली अम्मा मुहम्मद अली की,
जान बेटा खिलाफत पे दे दो।

शहर में ऐसा मालूम होता था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत उठ गयी है। और अली बिरादरान और गांधी जी ही की हुकूमत है। प्रिंस आफ वेल्स का लखनऊ आना भी याद है। मैं किसी ज़रूरत से घर से निकला, देखा तो शहर में सन्नाटा है, भरे बाज़ार, चलती हुयी सड़कें वीरान पड़ी हैं।

अमीनुद्दौला पार्क (झंडे वाला पार्क) में विलायती कपड़ों को आग लगाई जाती थी, जो लोग विलायती कपड़े पहने होते, वह रास्ता छोड़ कर चलते, इस ज़माने में मैंने मुहम्मद अली और गांधी जी को देखा। हमारे भाई सैयद हबीबुर्रहमान अमीनाबाद हाई स्कूल में पढ़ते थे। असहयोग आन्दोलन के कारण स्कूल से निकल आये और किसी नेशनल स्कूल में दाखिला लिया, जिन लोगों को सम्मान स्वरूप या विशिष्ट तमग़े मिले थे और उन पर अंग्रेजी अधिकारियों के नाम या अंग्रेजी लिखी हुई थी उनको पांव से रौंदते, अपने रिश्तेदारों और महल्ला वालों को अपनी आँखों से देखा। हजारों आदमियों ने अंग्रेजी पहनावा बल्कि अंग्रेजी रहन–सहन छोड़कर देसी पहनावा और हिन्दुस्तानी रहन–सहन इख्तियार कर लिया, और उनकी जिन्दगी में इन्तक़ाल आ गया।

हमारा ख़ानदान भी असहयोग आन्दोलन का समर्थक था। और यह बात पारिवारिक परम्परा, इस्लामी ललक, और ख़ानदान के संघर्ष के इतिहास के अनुरूप थी। पिता जी यद्यपि बहुत शान्ति प्रिय और एकान्त पसन्द थे, लेकिन ख़िलाफत आन्दोलन के समर्थन व हिमायत में उन्होंने भी एक अपील प्रकाशित की, जिसका मुझे अपने बचपन में देखना याद है। इसी भावना के तहत उन्होंने उस जमाने में उस सरकारी ग्रान्ट को बन्द करा दिया, जो नदवा को मिलती थी। मौलाना मुहम्मद अली मरहूम की माँ मोहतरमा बी अम्मां जब अपने दौरा के सिलसिले में रायबरेली आयीं तो वालिदा साहिबा से मिलने और ताज़ियत करने तकिया तशरीफ लाईं। ख़ानदान के बजुर्गों का उनको तख्त पर बिठा कर और ख़ुद उठा कर हमारे घर लाना अभी आंखों के सामने है।

ख़िलाफत के ख़ात्मः की मनहूस घटना

हिन्दुस्तान के मुसलमानों की ख़िलाफत आन्दोलन से दिलचस्पी और इस क्रम में उनकी इस्लामी आस्था व ग़ैरत बिल्कुल न्यायोचित थी। और इसका क़ायम रखना मुसलमानों का दीनी फ़रीज़ा था। पहली सदी हिजरी के मुसलमान इस की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मुसलमानों की ज़िन्दगी को संक्षेप से संक्षेप गैप भी 'ख़लीफ़ा' के बिना गुज़र सकता है। अब्बासी ख़िलाफ़त के अन्तिम दिनों में एक

लड़ाई में ख़लीफ़ा अब्बासी की गुमशुदगी की बिना पर फिर ख़लीफ़ा मुस्तअसिम बिल्लाह की शहादत पर चन्द साल ऐसे गुज़रे कि ख़िलाफत का आसन ख़ाली रहा। अल्लामा इब्न कसीर अपने विख्यात इतिहास 'अलबिदायः वन्निहायः' में उस ज़माने के नये सन् की शुरूआत करते हैं तो लिखते हैं:–

फलां सन् शुरू हुआ, और मुसलमान बिना किसी ख़लीफ़ा के हैं। लेकिन अंततः जो मंसब रसूल (सल्ल0) के बाद से किसी न किसी रूप में इस समय तक चला आ रहा था और उस्मानियों ने इस की शान व शौकत क़ायम रखी थी, और योरोप के दिल पर इस की धाक बिठा रखी थी, और जो हरमैन शरीफैन की रक्षक थी, 30 मार्च, 1924 ई. (1341 हिज्री) में कमाल अतातुर्क के हाथों उसका ख़त्मा हो गया। अगर पूछा जाये कि इस्लामी दुनिया के लिये अन्तिम सदियों के लम्बे इतिहास में मनहूस तरीन दिन कौन था? तो एक जानकार और हक़ीक़त पसन्द इतिहासकार इस के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता कि वह मार्च, 1924 की तारीख़ थी जब कुस्तुन्तुनिया की संसद ने ख़िलाफत की समाप्ति का फैसला किया, और पवित्र स्थल ही नहीं मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू का वह घेरा टूट गया जिसे तुर्कों ने अपने बलिदान, फौजी ताक़त और ख़िलाफत के पवित्र नाम से बनाया था।

यह फ़ैसला पश्चिमी शक्तियों विशेष कर ब्रिटेन के इशारे बल्कि दबाव से अमल में आया। उसमानी हुकूमत की इतिहास का लेखक डॉ. अली हस्सून लिखता है कि:–

"ब्रिटेन ने इस एलान के फौरन बाद तुर्की को बहैसियत एक आज़ाद सल्तनत के तस्लीम किया, और उसकी फौजें तुर्की की सीमा से बाहर निकल आयीं। ब्रिटेन की संसद के एक सदस्य ने हाउस आफ़ कामन्स में इस कारवाई पर विरोध जताया। इसका जवाब "कर्जन" ने इन शब्दों में दिया कि "समस्या यह है कि तुर्की का ऐसा पतन अमल में आ गया है कि फिर इस के बाद इसका उत्थान नहीं होगा, इसलिये कि हमने इसकी आत्मा की शक्ति (ख़िलाफ़ते उस्मानी) को ख़त्म कर दिया है।"

यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि तूरान कान्फ्रेंस में ब्रिटिश शिष्ट मण्डल के अध्यक्ष कर्जन ने तुर्की को तस्लीम करने के लिये चार शर्तें रखी थीं– ख़िलाफ़ते उस्मानी का पूरा ख़ात्मा, मुसलमानों के ख़लीफ़ा को देश निकाला, उनके माल व जायदाद की ज़ब्ती और हुकूमत के सेकुलर होने का ऐलान, जिसको अगरचः तुर्की शिष्ट मण्डल ने उस समय मंजूर नहीं किया लेकिन कमाल अतातुर्क की कोशिशों से अन्ततः तुर्की की संसद ने इसको मुजूर किया, और पश्चिमी शक्तियों का (जिनमें ब्रिटिश पेश–पेश था) वह सपना पूरा हुआ। जो वह अर्से से देख रही थीं, और स्वंय तुर्की के अगुआ के हाथों (जिसको तुर्की का निजात दहिन्दः समझा जाता है) यह मंसूबा पूरा हुआ। और अल्लमा इक़बाल मरहूम का यह शेर सादिक़ आया। :–

चाक कर दी तुर्क नादाँ ने ख़िलाफ़त की क़बा,
सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख।

जिस समय यह मनहूस घटना घटी उस समय मेरी उम्र दस साल से अधिक न थी, इसलिये मुझे इस घटना की संगीनी और इस के दूरगामी परिणामों का शऊर नहीं हो सकता था, लेकिन ख़िलाफ़त आन्दोलन का उल्लेख करते समय जिस का जोश व ख़रोश और दीन का दर्द रखने वाले मुसलमानों की बेचैनी और तड़प अभी कल की बात मालूम होती है, इन भांवनाओं के इज़हार से क़लम बाज़ नहीं रह सका जिनका समझना मेरे उस समय की उम्र और शऊर से बालातर था।

रखियो 'ग़ालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में मुआफ़,
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है।

(जारी)

प्रस्तुति : एम. हसन अंसारी

❑❑

सुब्ह की दुआ

अल्लाहुम्म अस् अलुक ख़ैर हाज़ल् यौम् फ़त्हहू व नसरहू व नूरहू व बरकतहू व हुदाहू व अऊज़ु बिक मिन शर्रिमा फीहि व शर्रि मा बअ्दहू।

हम कैसे पढ़ायें?

– डॉ. सलामत उल्लाह

जनरल साइँस

इन्सान हमेशा से दुनिया की भौतिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकतानुसार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अतः अपने माहौल की ज़िन्दगी में सफलता पूर्वक प्रतिभाग करने के लिये भौतिक संसार का अध्ययन करना और प्राकृतिक वस्तुओं तथा प्राकृतिक शक्तियों के आपस के तअल्लुक को समझना जरूरी है। यह तो है इसका लाभदायक पहलू। सभ्यता के दृष्टिकोण से भी आसपास की प्राकृतिक चीजों में दिलचस्पी पैदा करना जरूरी है ताकि जब कभी उन्हें देखा जाये तो उनमें कोई न कोई रोचक बात जरूर नजर आये और इस तरह उन चीज़ों की तरफ एक मानसिक झुकाव पैदा हो जाये जिस से बच्चों की बढ़ती हुई जिज्ञासा की तुष्टि हो सके। जो व्यक्ति अपने आसपास की वनस्पति और जन्तुओं से अपरिचित रहते हुए ज़िन्दगी गुजारता है, उस की दशा दयनीय है वह एक बड़ी नेअमत से महरूम है जिस की प्रतिपूर्ति और किसी तरह से नहीं हो सकती।

प्राथमिक स्कूल में साइंस का गहरा अध्ययन नामुमकिन है। यहाँ प्रकृति के बारे में कुछ सामान्य बातें तथा पौधों व जानवरों के बारे में आवश्यक जानकारी दे देना काफी है। इस क्रम में सिर्फ वही चीजें लेना चाहिए जिन का सम्बन्ध निरीक्षण से है। देखकर बच्चे जो बातें नोट करेंगें उन्हें मिलान करके अलग अलग दर्जों में बाँटा जा सकता है।

अब तक हमारे स्कूलों में साइंस की शिक्षा सिर्फ नेचर ओर कीमिया तक सीमित थी। लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिये जीव विज्ञान विशेषकर वनस्पति शास्त्र अधिक रोचक और लाभदायक हैं, इसकी व्यवस्था भी आसान है इसके लिये बड़े खर्च या सुव्यवस्था की जरूरत नहीं है। स्कूल शिक्षा की समाप्ति के बाद और कोई दूसरी साइँस इतनी ज्यादा खुशी का कारण नहीं हो सकती। इन्सान इस के अध्ययन को शौकिया काम की हैसियत से अपना कर आजीवन जारी रख सकता है।

विज्ञान शिक्षण में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे न सिर्फ अपने निरीक्षण और प्रयोग से आस पास की दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करें बल्कि उनमें घटनाओं को सही तौर पर देखने समझने और जाँचने की नजर पैदा हो जाये जिसे साइँटिफिक आउटलुक कहते हैं।

गणित

गणित को पाठयक्रम का एक आवश्यक अंग समझना चाहिये। क्योंकि व्यवहार में इसका बड़ा महत्व है। गणित मे यद्यपि बहुत सी बेकार चीजें हैं लेकिन मेंटल ट्रेनिंग के लिये इसे जरूरी करार दिया गया है। कहा जाता है कि इन से मेंटल इक्सरसाइज होती है। ऐसी बेकार चीजों में समय लगाना जिन का जीवन यथार्थ से कोई तअल्लुक नहीं किसी भी दशा में दुरूस्त नहीं है। इसी नजरिये के कारण बच्चे गणित से सबसे ज्यादा भागते हैं। अब एक अच्छी बात शुरू हुई है कि गणित की शिक्षा और अभ्यास दैनिक जीवन की समस्याओं के जरिये हो और इस तरह कि इस के लाभ और महत्व को स्पष्ट किया जाये।

मानव सभ्यता के विकास में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटेन के विख्यात शिक्षाविद मानिन ने कहा है "गणित मानव आत्मा का शानदार कारनामा है।" ऊँची कक्षाओं में इस लेहाज से भी गणित के महत्व को स्पष्ट करना चाहिये ताकि बच्चे इस के तहजीबी पहलू से बखूबी वाकिफ हो जायें।

हिसाब

इसमें कायदे दो प्रकार के हैं– एक तो वह जो संख्या के सामान्य नियमों से सम्बन्धित हैं और दूसरे वह जिनमें कोई नया उसूल नहीं बताया जाता बल्कि बुनियादी बातों का अभ्यास कराया जाता है और इनका सम्बन्ध खास कर तिजारत से होता है। इस तरह हिसाब की दो शाखायें हैं– 1 नजरी हिसाब और 2 अमली हिसाब। नज़री हिसाब में गिनती, भिन्न, दशमलव तथा अनुपात शामिल है। अमली हिसाब में पैमाइश और वज़न के पैमाने, इकाई का कायदा, ब्याज ,लाभ–हानि आदि शामिल हैं।

नजरी हिसाब के कुल कायदे ऐसे हैं जिन्हें सही और तेजी से बरतने की क्षमता पैदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन फारमूले का अर्थ समझे बिना महज हिसाबी अमल (व्यवहार गणित) की शुद्धता और तेजी कुछ अधिक लाभदायक नहीं है, क्योंकि बिना समझे उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। असल चीज इस्तेमाल है न कि उनके हिसाबी अमल का जानना।

हिसाब की हर किताब का लगभग आधा हिस्सा अमली हिसाब के सवालों से भरा होता है लेकिन कुछ ऐसे बनावटी और काल्पनिक होते हैं कि बच्चे को उनसे लिचस्पी नहीं होती। सवाल इस तरह के होने चाहिये कि बच्चे महसूस करें कि वह मानव जीवन से सम्बन्धित हैं और उन्हें हल करना उसके लिये लाभप्रद होगा।

2. बीजगणित (अलजबरा)

बीजगणित की शिक्षा सामान्यतः माध्यमिक स्कूलों के लिये निश्चित कर दी गयी हैं प्राथमिक विद्यालय की अन्तिम कक्षाओं में इस विषय को शुरू करने के सम्बन्ध में अलग अलग रायें हैं। हमारे विचार में यह अधिक उचित होगा कि अन्तिम कक्षाओं में तिजारती हिसाब के गूढ़ प्रश्नों में समय नष्ट करने के बाजाय प्रारम्भिक बीजगणित पढ़ाई जाये। यहाँ भी हमें इस के अमली पहलू पर जोर देना चाहिये। अर्थात यह कि बच्चे महसूस करें कि बीजगणित एक ऐसा कारआमद इल्म है जिसकी मदद से कुछ बहुत कठिन और हल न हों पाने वाले प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन अगर बीजगणित इस प्रकार पढ़ाया जाये कि बच्चों की नजर में वह भेदपूर्ण चिन्हों का गोरखधन्धा बनकर रह जाये जैसा कि दुर्भाग्यवश इस समय है तो इसे पढ़ाने से न पढ़ाना ही अच्छा है।

3. ज्योमेट्री

उच्च गणित सीखने वाले के लिये ज्योमेट्री का विशेष महत्व है, लेकिन यह क्या ज़रूरी है कि इसे बच्चे के सर जबरदस्ती थोपा जाये। वह लोग जो मेन्टल इक्सरसाइज को पाठयक्रम के चयन के लिए कसौटी समझते हैं इसका कुछ न कुछ जवाब जरूर देंगे लेकिन हमने तो कुछ कारणों से, जिनका यहाँ दोहराना जरूरी नहीं, इस कसौटी को सिरे से गलत करार दिया है। हमारे नजदीक ज्योमेट्री जानने की इसलिये जरूरत है कि हर व्यक्ति के विचारों व कल्पनाओं का अधिकांश मकान के आपसी निस्बतों का पाबन्द होता है और रोजाना के व्यवहारिक जीवन में भी मकानी कल्पनायें जाने या अनजाने तौर पर काम में लाये जाते हैं। वह तमाम चीजें जो हमारे बरतने में आती हैं अपनी अपनी खास शक्ल रखती हैं जिन्हें समझने में ज्योमेट्री हमारा मार्गदर्शन करती है। यह दुरूस्त है कि आयतन और फासिले से सम्बन्धित परिकल्पनायें उन लोगों के लिये ज्यादा कारआमद हैं जो कुछ विशेष पेशे–व्यवसाय इख्तियार करना चाहते हैं जैसे इन्जीनीयरिंग बढ़ईगीरी, मैसनरी आदि। लेकिन यह परिकल्पनायें कमोबेश हम सब की जिन्दगी में काम आते हैं। अब जो स्कूलों में हाथ के काम जारी किये गये हैं उन्हें ठीक तौर पर करने के लिये ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी अतः ज्योमेट्री की शिक्षा से किसी को छूट नहीं दी जा सकती।

प्राथमिक विद्यालय में ज्योमेट्री की शिक्षा सिर्फ प्रयोगात्मक होनी चाहिये सरल रेखा और सरल रेखाओं से बनी हुई शक्लें जो सामन्यतः बच्चे को देखने मे आती हैं जैसे त्रिभुज आयत, वर्ग, गोला, रकबा और आयतन आदि उन का महत्व बच्चों की समझ में आना चाहियें नजरी ज्योमेट्री के लिये प्राथमिक शिक्षा में कोई गुँजाइश नहीं है इसे माध्यमिक स्कूल तक स्थगित रखना चाहिये। (जारी)

प्रस्तुतिः एम. हसन अंसारी

❑❑

फ़िक़्हे इस्लामी का मफ़हूम

(इस्लामिक धर्मज्ञान का अर्थ)

– मौ0 मुजीबुल्लाह नदवी

फ़िक़्ह का शाब्दिक अर्थ है समझ बूझ और किसी चीज की जानकारी भली भांति प्राप्त करना। पवित्र कुर्आन और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की हदीसों में जहाँ जहाँ यह लफ़्ज़ (शब्द) आया है उसके लफ़्ज़ी मअना (शाब्दिक अर्थ) में इतना बढ़ गया कि "दीन के विषय में समझ बूझ रखना और उस में निपुणता (महारत) प्राप्त करना, पवित्र कुर्आन में है:

अनुवादः क्यों न हर क़ौम से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने के लिये निकल खड़े हों ताकि वह, इल्मे दीने हासिल करके वापस हों तो अपनी कौम को उस से आगाह करें। (अत्तोबः122)

हदीस में आया है:

अनुवादः जिसको अल्लाह भलाई देना चाहता है उसे दीन में समझ बूझ अता कर देता है। (मिश्कात)

सहाबा और ताबिअीन के ज़माने तक जब भी यह लफ़्ज बोला जाता था तो उस से यही दीनी फ़हम मुराद लिया जाता था, जिस में अकाइद (विश्वास) अिबादात (अपासनाएं) अख़लाक (नैतिकता) मुआमलात (व्योहार) सब दाख़िल समझे जाते थे, मगर जब हर फ़न की जुदा जुदा तदवीन शुरूअ हुई (अर्थात उक्त विषयों पर अलग अलग लिखा जाने लगा) तो हर फ़न (विषय) के लिये अलग अलग परिभाषाएं (इस्तिलाहें) बनाई गईं उस वक़्त से इल्मे फ़िक़्ह (धर्म विज्ञान) से अक़ाइद व अख़लाक़ के ज्ञान को अलग कर लिया गया और फ़िक़्ह का दाइरा (वृत्त) इबादात व मुआमलात और मुआशरत (रहन सहन) के जाहिरी अहकाम (आदेशों) तक महदूद (सीमित) हो गया और इन अहकाम के जो अख़्लाकी (नैतिक) व रूहानी (आध्यात्मिक) पहलू हैं धीरे धीरे फ़िक़्ह की किताबों से उन का बयान अलग हो गया और उक्त तीनों विभागों (शुअबों) के अमली अहकाम (आदेशों) के जानने ही का नाम इल्मे फ़िक़्ह हो गया। अक़ाइद (विश्वास) के बयान के लिये इल्मे कलाम (विश्वास विज्ञान) वजूद में आया और अहकाम के अख़लाकी व रूहानी (नैतिक तथा आध्यात्मिक) पहलू यअनी इहसान और नफ़्स के तज़्किया (आत्म पवित्रता) के लिये तसव्वुफ की इस्तिलाह (परिभाषा) निकाली गई, मिसाल के तौर पर शुरूअ में नमाज़ के बयान में उस के ज़ाहिरी अरकान (अंगों) के साथ खुशूअ व खजूअ (विनम्रता तथा सुशीलता) और इनाबते कल्ब (हृदय पश्चात्ताप) का भी ज़िक्र होता था मगर बअद में फ़िक़्ह की किताबों में नमाज़ के ज़ाहिरी अरकान (दिखाई देने वाले कामों) की तफ़सील पर जियादा बात होने लगी और उस के अख़्लाकी व रूहानी (नैतिक तथा आध्यात्मिक) का बयान बराए नाम (नाम मात्र) रह गया (और उसका तफ़सीली बयान तसव्वुफ में चला गया) मगर जैसा कि ऊपर बताया, शुरूअ में "फ़िक़्ह" का लफ़्ज दीन और सारे दीनी अहकाम (आदेश) में समझ बूझ हासिल करने के लिये बोला जाता था चाहे वह ईमान व अक़ीदा के मसाइल (बातें) हों या कानूनी अहकाम (वैधानिक आदेश) हों या अख़्लाकी (नैतिक) और रूहानी (आध्यात्मिक) हिदायात (निर्देश) हों, चुनांचि इमाम अबू हनीफा (रह.) जिनकी ज़ाते–गिरामी से फिक्ह का दाइरा वसीअ से वसीअतर (अत्याधिक विस्तृत) हुआ उन्होंने फ़िक़्ह की तअरीफ (परिभाषा) यह की थी:

अनुवादः हर शख़्स यह जान ले कि उसके लिये दुन्या व आख़िरत में क्या चीज़ मुफ़ीद (लाभ दायक) है और क्या चीज़ मुज़िर (हानिकारक)

(अल् बहरूर्राइक)

इस तअरीफ़ (परिभाषा) से फ़िक़्ह का दाइरा सिर्फ अमली अहकाम (क्रयात्मक आदेशों) तक महदूद नहीं रहता बल्कि अक़ाइद व अख़्लाक और इहसान व तज़्किया के अहकाम भी इस में दाख़िल हो जाते हैं। अल्लामा इब्नि नजीमुद्दीन ने अपनी किताब (अल्बहरूर्राइक) में आम फ़ुक़हा की तरह फ़िक़्ह के सिर्फ

चार शुअबों (विभागों) इबादात, (उपासनाओं) मुनाकहात (विवाह सम्बन्धित बातें) मुआमलात (सामाजिक व्यवहार) और उक़ूबात (दंडशास्त्र) की बातें लिखी हैं मगर उन्होंने अकाइद व आदाब (नैतिकता) को भी फ़िक़्ह का जुज़्व (अंग) करार दिया है। वह बहरूर्राइक की तम्हीद (भूमिका) में लिखतें हैं कि इस्लामी फ़िक़्ह के पांच शुअबे (विभाग) हैं:

एअतिकादात (विश्वास) अिबादत (उपासनाएं) मुआमलात (सामाजिक व्यवहार) मज़ाजिर (दन्डशास्त्र) आदाब (नैतिकता) और इनमें से हर शुअबे की कई किस्में हैं, मसलन एअतिकादात में अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, तक़्दीर पर ईमान और आख़िरत पर ईमान उसकी किस्में हैं इसी तरह इबादात की भी पांच किस्में हैं, नमाज़, रोजा, हज्ज, जकात, और जिहाद। मुआमलात की भी पांच किस्में हैं, मुआवजाते मालिया (पारिश्रमिक) मुनाकहात (विवाह शास्त्र) मुखासमात (लड़ाई झगड़े) अमानात (धरोहर शास्त्र) शिरकात (साझेदारियां) मजाजिर (दन्ड शास्त्र) इसकी भी बहुत सी किस्में हैं, मसलन कत्ल की सज़ा, कतअे अज़्व (अंगहीन करना) की सज़ा, किसी का माल ले लेने की सज़ा, चोरी, डाका, गसब (बलात किसी का धन अथवा सम्पति ले लेना) बे इज़्ज़ती (अपमान) आबू रेजी (व्यमिचार) की सज़ा।

आदाब, जिसमें रहने सहने, खाने पीने के तरीक़े और ज़ाती अख़्लाक का बयान होता है लेकिन फ़िक़्ह में आम तौर से इन में से तीन शुअबों का बयान होता है: इबादात मुआमलात और मज़ाजिर (अल बहरुर्राइक 1:7) उन्होंने मुआमलात ही में मुआशरती (सामाजिक) अहकाम यअनी मुनाकहात (विवाह शस्त्र) को भी दाखिल कर दिया है अगर इस का ज़िक्र अलग किया जाए तो इस्लामी अहकाम की छे किस्में हो जाती हैं लेकिन इसमें एक और किस्म को वाजेह (स्पष्ट) करने की ज़रूरत है, जिसमें बैनलअक्वामी मुआमलात (अतर्राष्ट्रीय व्यवहारों) पर बहस होती है जिसे फुक़हा "बाबुल जिहाद वरिसियर" के नाम से ज़िक्र करते हैं। ग़ालिबन मुसन्निफ ने इस को बाबे–जिहाद ही का एक हिस्सा समझा है इस लिये अलग ज़िक्र नहीं किया। अगर इस को भी अलग कर लिया जाए तो फिर इस की सात और अगर दाखिली मुआमलात (गृह प्रबन्ध) को भी अलग कर लिया जाए जिसे अलअहकामुस्सुल्तानिया और अस्यिासतुश्शरअीय: (राज विधान तथा इस्लामिक वैधानिक राजनीति) के नाम से याद किया जाता है। इस का ज़िक्र मुख़्तलिफ़ अबवाबे फ़िक़्ह (इस्लामिक विधान के विभिन्न अध्याओं) में होता है। इस तफ़सील से अन्दाज़ा हो गया होगा कि इस्लामी फ़िक़्ह का दाइरा कितना वसीअ (विस्तृत) है इस के बयान से इन्सानी ज़िन्दगी का कोई पहलू ख़ाली नहीं है। मगर जैसा कि ऊपर कहा गया कि जब मुख़्तलिफ़ फुनून की तक़्सीम (विभिन्न विषयों का विभाजन) हुई तो फुक़हा ने फ़िक़्ह के मुजर्रद अमली अहकाम (क्रियात्मक व्याख्याओं) को अक़ाइद (विश्वास) व अख़्लाक (नैतिकता) की बहस से अलग कर लिया और फिर उन्होंने फ़िक़्ह की यह तअरीफ (परिभाषा) की अनुवाद: फ़िक़्ह नाम है शरीअत के अमली अहकाम (इस्लामिक विधान के क्रियात्मक आदेशों) को उनके तफ़सीली दलाइल (सविस्तार तर्कों) से जानने का।"

आम तौर से हनफी आलिमों इब्नि नजीम, इब्नि आबिदीन आदि ने दो एक लफ़्ज बढ़ा कर यही तअरीफ लिखी है। शाफओी फुकहा में अल्लामा आबिदी ने इसी की यह वसीअ (विस्तृत) तअरीफ की है:

अनुवाद: "फ़िक़्ह उस इल्म को कहते हैं जिस के जरीअे बसीरत व दलील (अंतर्दृष्टि तथा तर्क) के साथ शरीअत का इल्म हासिल हो।" साहिबे हिदाय: के दौर तक तो फुक़हा (इस्लामिक विधान के विद्वान) हर मसअला तफसीली दलीलों के साथ (यअनी फुला मसअला किताब व सुन्नत के फुला हुक्म से लिया गया है के साथ) बयान करते थे लेकिन बअद में सिर्फ अहकाम से बहस शुरूअ हो गई, दलाइल (तर्कों) को नजर अन्दाज़ कर दिया गया। (तभी से शरीअत का गहरा इल्म न रखने वाले कहने लगे कि फ़िक़्ह की किताबें किताब व सुन्नत से हट कर लिखी गई हैं। अनुवादक)

बाक़ी पेज 22

धरती में बिगाड़ पैदा न करो

– डॉ.अब्दुल मुग़नी

इस्लाम एक अरबी भाब्द है जिसकी धातु (मूल) 'स–ल–म' है और अरबी व्याकरण के अनुसार विभिन्न निष्पत्ति के अनुसार इस धातु से उतपन्न होने वाले शब्द 'इस्लाम' एवं 'तस्लीम' हैं, जबकि इस धातु के अक्षरों से बने एक शब्द 'सिल्म' का शाब्दिक अर्थ "अमन" (शांति) है। फिर 'सलाम' और 'सलामत' के शब्द भी हमारी भाषा में सलामती के अर्थ में प्रयुक्त एवं प्रचलित हैं। स्वयं 'इस्लाम' शब्द का अर्थ अपने आपको ईश्वर को समप्रित कर देना, उसके आगे सिर झुकाना, उसकी आज्ञा पालन और भक्ति है। इसलामी दृष्टिकोण से मानव का सांसारिक जीवन ईश–भक्ति के लिए है और ईश–भक्ति विश्व–शांति की ज़मानत है। मुस्लिम समाज में "अस्सलामु अलैकुम" (तुम पर सलामती हो) का रिवाज एक इस्लामी पहचान पर आधारित है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ–सूचना और शुभ–संदेश है। इसका अर्थ यह है कि इस्लाम दुनिया में जो समाज बनाना चाहता है वह पूर्ण रूप से रहमत और वरदान है। लोगों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग इसकी विशेष पहचान है।

इस्लाम की इस विशेषता का संकेत "बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम" का वह प्रसिद्ध वाकय है जिससे मुस्लिम समाज और उसके लोगों का प्रत्येक काम आरंभ होता है और जो कुरआन मजीद की तमाम सूरतों का आरंभ बिन्दू है। इस वाक्य में ईश्वर की जिन दो विशेषताओं को बयान किया गया है वह रहमत (करूणा, दया, कृपा) पर आधारित है। इसका भावार्थ यह है कि रहम व करम (दया, कृपा) जिस प्रकार ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है उसी प्रकार उसके बन्दों की भी उत्कृष्ट विशेषता है। उनके जीवन में सभी गतिविधियां और क्रिया–कलाप ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए होते हैं और उनका प्रत्येक काम ईश्वर की दया और कृपा की ओर संकेत करता है। रहम–व–करम की इस भावना से बढ़कर शान्ति और सुरक्षा की ज़मानत क्या दुनिया में हो सकती है?

सबके लिए रहमत :–

कुरआन शरीफ की प्रस्तावना अर्थात सूर–ए–फातिहा में अल्लाह की विशंषताएं, रहमान व रहीम से पहले उसकी हस्ती को "रब्बुल आलमीन" अर्थात समस्त जगत का पालनहार कहा गया हे ये दोनों विशेषताएं ईश्वर की उसी कृपाशीलता से संबधित है, बल्कि उसकी व्याख्या हैं। अरबी में "रब्ब" का अर्थ बहुत विस्तृत है और उसकी एक मौलिक विशेषता सबके लिए रहमत है। ईश्वर पूरे जगत और उसमें विद्यमान समस्त वसतुओं का पालनहार और संरक्षक है और पूरी सृष्टि उपने सृष्टिकर्ता की क्षत्रछाया ही में परवरिश पा रही है। रब की व्याख्या में दो पहलू मूख्य हैं पहला यह कि ईश्वर को उपने बन्दों के साथ ऐसा गहरा और प्रबल प्रेम है जेसा कि माँ को अपने बच्चे से होता है, दूसरा यह कि बन्दों पर खुदा की शफ़कत (स्नेह) बाप के स्नेह की तरह छाया किये हुए है ये दोनों पहलू प्रेम एवं स्नेह की पराकाष्ठा में संबंध रखते है। इस दृष्टिकोण से इसलाम में "ईश्वर" की कल्पना ईश्वर को मसीही कल्पना के उनुसार केवल बाप कह देने के "दोषपूर्ण विश्वास" से बहुत बेहतर है, कयोंकि इस कलपना के अनुसार ईश्वर के साथ इंसान का कोई वंशानुगत संबंध नहीं होते हुए भी इस रिश्ते की मुहब्बतों को इंसान बड़ा अनुदान खुदा की ओर से इंसान को मिल जाता है जो किसी वंशगत संबंधों से कभी मिल नहीं सकता। यही कारण है कि रब का अर्थ स्वामी व संरक्षक और मालिक व हाकिम भी है, अर्थात सामान्य एवं सामूहिक रूप से ईश्वर हर दृष्टि से इंसान का पालनहार, संरक्षक, सहायक और मार्गदर्शक है। यह सामान्य और व्यापक रहमत की भावना है और

उससे बढ़कर दया एवं कलयाण की कोई कलपना नहीं हो सकती। यह सत्य बहुत ही स्पष्ट रूप से कुरआन की निम्न–लिखित आयतों में व्यकत किया गया है–

"दण्ड तो मैं जिसे चाहूँगा दूँगा, मगर मेरी दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है।"

(कुरआन, 7:156)

यही बात एक और आयत में इस प्रकार कही गयी है–

"उसने दयालुता की नीति अपने लिए अनिवार्य कर ली है।"

(कुरआन, 6:12)

इसी ईश्वरीय कृपा का चमत्कार है कि मनुष्य की अनेक ग़लतियों और अवज्ञा के बावजूद उसे लगातार छूट दे दी जाती रही है।

"अगर कहीं वह लोगों को उनकी करतूतों पर (तुरंत) पकड़ता तो धरती में किसी प्राणधारी को जीवित न छोड़तां किन्तु वह उन्हें एक नियत समय के लिए मोहलत दे रहा हैं।"

(कुरआन,35:45)

प्रतिकार का विधान:–

निश्चय ही इस जगत का पालनहार सर्वशक्तिमान और नयायप्रिय है और उसने दुनिया में एक सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील प्रतिकार का विधान (Law of retribution) स्थपित किया है, जिसके आधार पर जीवन में ऐसा संतुलन पाया जाता है, जो यदि नहीं होता तो पूरे विश्व में बिखराव पैदा हो जाता और कोई ऐसी मापदंड–व्यवस्था स्थिर नहीं रहती जिसके अनुसार भले–बुरे के नैतिक फ़ैसले करके दुष्टों को सज़ा और नेक लोगों को इनाम दिया जा सके। यह वयवसथा भी ईश्वर की करूणा का ही एक पहलू है। क्योंकि इसी के अंतर्गत बड़े–बड़े अपराधियों को दंड देकर बिगाड़ एवं भ्रष्टाचार का निरनतर दमन होता रहता है और इस धरती का वातावरण अभी तक इंसान के लिए आनन्दमय है प्रतिकार का विधान ही इस वातावरण को बार–बार साफ करके दूषित होने से बचाता रहता है, वरना ज़ालिमों की फैलायी हुई गन्दगियों में मानवता का दम घुट चुका होता। वास्तव में विश्व इतिहास में असामाजिक तत्वों की विध्वंसकारियों और आतंकबादी गतिविधियों पर सबसे बड़ी बाधा और चेतावनी ईश्वरीय शकित का प्रतिकार विधान ही है।

कुरआन में है–

"फिर जिस किसी ने कण भर नेकी की होगी, वह उसको देख लेगा। और जिसने कण भर बुराई की होगी, वह उसको देख लेगां"

(कुरआन, 99:7–8)

"थल और जल में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि (ईश्वर मज़ा चखाए उनको उसके कुछ कुकर्मों का, कदाचित वे बाज़ आ जाएं।)"

(कुरआन,30:41)

"तेरा प्रभु ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण विनष्ट कर दे, जबकि उनके निवासी सुधारक हों"

(कुरआन,11:117)

"आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अकारण यातना दे ? अगर तुम कृतज्ञता दिखलाते रहो और ईमान की नीति पर चलो।"

(कुरआन,4:147)

"यदि इस प्रकार अल्लाह मानवों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता, तो धरती की व्यवसथा बिगड़ जाती, किन्तु संसार के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है"

(कुरआन,2:251)

यह विश्व का निरीक्षण है जो दुनिया से आख़िरत तक जारी है, प्रकृति का पहरा हर ओर लगा हुआ है, प्रत्येक वस्तु की समीक्षा की जा चुकी है और सारे काम एक नियम से हो रहे हैं, कठोरता एवं कोमलता के मिश्रण से एक संतुलित मार्ग स्पष्ट है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की समीक्षा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप से की जा रही है और इतिहास सबको सबक दे रहा हे।

रहमते आलम

(जगत के लिए रहमत)

जिस प्रकार ईश्वर ने सवयं को 'रब्बुल आलमीन' (जगत का पालनहार) कहा है, उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को 'रहमतुल्लिल आलमीन' की उपाधि दी हे। कुरआन में है– "नबी हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है।"

(कुरआन,21:107)

इस प्रकार रहमते आलम (सल्ल.) का चरित्र–चित्रण करते हुए

पवित्र कुरआन ने आप (सल्ल.) के लिए "रऊफूर्रहीम" (अतयंत दयालु और कृपाशील) की उन दयालुता–पूर्ण विशेषताओं का प्रयोग किया है जिनसे विश्व–स्वामी ईश्वर की हस्ती भी अलंकृत हैं अपने अन्तिम संदेष्टा की विनम्रता और स्नेहयुक्त स्वभाव का वर्णन ईश्वर ने कुरआन में एक सथान पर इस व्याख्या के साथ किया है कि यह उसकी विशेष कृपा है–

"(ऐ पैगब्बर) यह अल्लाह की बड़ी कृपा है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नम्र स्वभाव के हो।

"(कुरआन,3:159)

इस सम्बंध में खुदा के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का यह कथन अतयंत विचारणीय है– •

"संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का परिवार है अतः ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय वह हे जो उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे"

अब जो शरीअत (जीवन–व्यवस्था) रब्बुल आलमीन (समस्त विश्व के पालनहार) द्वारा प्रस्तावित हो और उसको अपने जीवन में अपनाकर रहमतुल्लिल आलमीन (विश्व के लिए दयालुता) ने दिखाया हो, उस शरीअत में ईश्वर की सृष्टि के लिए कृपा, दया और न्याय का होना स्वाभाविक है यही कारण है कि मानवता के इतिहास में सामाजिक न्याय(Social justice)का सर्वोत्तम उदाहरण दुनिया के समक्ष हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शरीअत ही ने पुरस्तुत किया है। ऐसी आदर्श जीवन–व्यवस्था मानव के लिए एक आतंक नहीं शांति का साधन है, भय और खतरा नहीं शांति और सुरक्षा का कारण है।

इस्लाम में युद्ध और शान्ति की कल्पना

सर्वसुलभ दयालुता और रहमते आलम के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम में शांति और युद्ध की कलपना का अध्ययन अतयंत लाभकारी रहेगा। इस संबंध में सर्वप्रथम देखना चाहिए कि इस्लाम की दृष्टि में मानव–प्राण का महत्व कितना अधिक है। संसार की पहली हत्या का वर्णन करते हुए दिव्य कुरआन में धरती के सबसे पहले आतंकवादी, क़ाबील (आदम के पुत्र) को उसके भाई उसकी दुश्मनी का शिकार, हाबील का यह जवाब दर्ज किया गया है कि,"यदि तू मुझे क़त्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे क़त्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा।" अर्थात एक सदाचारी ईश–भक्त कभी क़त्ल की चेष्टा नहीं करेगा। परन्तु जब इस सुधारवादी और समझौतावादी जवाब के बावजूद दुष्ट क़ाबील ने अंततः हाबील को क़त्ल कर दिया तो इस घटना पर प्रकाश डालते हुए और टिप्पणी करते हुए कुरआान, अल्लाह के इस आदेश की घोषणा करता है–

"इसी कारण से बनी इस्राईल के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी मनुष्य को हत्या के बदले या धरती में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और कारण से मार डाला उसने मानो सारे ही मानवों की हत्या कर दी और जिसने किसी के प्राण बचाये उसने मानो सारे मानवों को जीवन दान किया।"

(कुरआन,5:32)

इस आयत के तुरंत बाद दूसरी ही आयत में भूतल पर दंगा–फ़साद फैलाने वालों की सज़ा यह बतलायी गयी है कि अगर वे पकड़ में आने से पहले तौबा (बुराई छोड़ने का प्रण) न करें तो उन्हें परिस्थिति के अनुसवार क़त्ल या देश निकाले की सजा दी जाए। इस सज़ा की व्याख्या करते हुए वर्तमान युग के सबसे बड़े इसलामी चिंतक, मौलाना अबुल आला मौदूदी (रह.) अपने अनूदित कुरआन मजीद में लिखते हैं–

"भूतल से अभिप्राय यहां वह देश या वह क्षेत्र है जिसमें शान्ति–व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व इस्लामी सत्ता ने ले रखा हो और खुदा व रसूल (सल्ल.) से लड़ने का अर्थ इस सदाचारपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करना है, जो इस्लामी सत्ता ने देश में स्थापित कर रखी हो। इस्लामी विधि शास्त्रियों" की दृष्टि में इससे मुराद वे लोग हैं जो सशस्त्र होकर और जत्था बनाकर डाकाज़नी और लूटमार करें।"

स्पष्ट रहे कि इस आयत में बिगाड़ और फ़साद फैलाने वालों को खुदा और रसूल से लड़ने वाला बताया गया हैं इसके अतिरिक्त दूसरे कई स्थानों पर पवित्र कुरआन ने 'फ़ितना' को क़त्ल से बड़ा और अधिक जघन्य अपराध घोषित किया है क्योंकि इसकी विनाशकारियां इतनी विस्तृत और इतनी जबर्दस्त होती हैं कि पूरी की पूरी कौम तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। अतः

'फ़ितना' व फ़साद के अभियुक्तों के लिए इस्लाम शीघ्र प्रभावी सज़ाएं प्रस्तावित करता है, ताकि समाज में बिगाड़ और आतंकवाद को फलने–फूलने का अवसर न मिले और निर्दोष व्यकित उसका शिकार न बनें। स्पष्ट है कि जिस समाज में बिगाड़ और फ़साद की खुली छूट होगी उसमें मनुष्य को वास्तविक राहत और प्रगति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वहां कुछ व्यक्ति अपनी सत्ता और धन के बल पर कुछ दिनों के लिए कितनी ही मौज–मस्ती कर लें। अतः फ़ितना व फ़साद फैलाने वाले स्वार्थी तत्वों को कुरआन चेतावनी देता है।

"वह परलोक का घर तो हम उन लोगों के लिए आरक्षित कर देंगे जो धरती में अपनी बड़ाई नहीं चाहते, और न बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। और पारिणामतः भलाई (ईश्वर का) डर रखने वालों ही के लिए है।" (कुरआन,28:83)

इस संबंध में इस्लाम विश्व में एक सर्वव्यापी सुधार का सिद्धांत प्रस्तुत करके मानवता के सकारात्मक आधारों और उसके रचनात्मक उद्देश्यों पर बल देता है।

कुरआन में है–

"धरती में बिगाड़ पैदा न करो, जबकि उसका सुधार हो चुका है, और अल्लाह ही को पुकारो, भय के साथ और लोभ के साथ। निश्चय ही अल्लाह की दयालुता अच्छे चरित्र वाले लोगों के समीप है।"

(कुरआन, 7:56)

इस आयत में एक विश्वव्यापी संतुलन की ओर संकेत है जिसकी स्थापना पर ही जीवन की समस्त क्रिया–कलापों का अस्तित्व निर्भर करता है अतः जो लोग सरकशी और अत्याचार करके इस संतुलन को भंग करते हैं वे फ़ितना (फ़साद) फैलाने वाले और भ्रष्ट एवं अपराधी हैं जिनसे संघर्ष और उनका दमन हर इंसान का एक नैतिक दायित्व होने के साथ–साथ उसकी प्रकृति की मांग भी हैं कुरआन इस मांग को स्वीकार करते हुए भी प्रतिकार के लिए उचित सीमाएं निश्चित करता है–

"और यदि तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो जितनी तुम पर ज़्यादाती की गयी हो। किन्तु यदि तुम धैर्य से काम लो तो निश्चय ही यह धैर्यवानों ही के लिए अधिक अच्छा है।"

(कुरआन,16:126)

"अतः जो तुम पर हाथ उठाये, तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठा सकते हो, अलबत्ता ईश्वर से डरते रहो और यह जान रखो कि ईश्वर उन्हीं लोगों के साथ है, जो उसकी सीमाओं के उल्लंघन से बचते है।"

(कुरआन,2:194)

यह अत्याचार के मुकाबले में एक रक्षात्मक ढंग है जिसका उद्देश्य स्पष्टतः अत्याचार की रोकथाम और न्याय–व्यवस्था की स्थापना है। यही वह उच्चतम सृजानात्मक एवं सुधारवादी उद्देश्य है जिसके लिए इस्लाम ने अपने अनुयायियों पर जिहाद अनिवार्य किया है। कुरआन में है–

"अनुमति दी गयी उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित है और अल्लाह को निश्चय ही उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है ये वे लोग हैं जो अपने घरों से अनुचित रूप से निकाल दिये गये केवल इसलिए कि वे कहते थे, हमारा प्रभु अल्लाह है।" (कुरआन,22:39–40)

इस आयत (39) पर मौलाना मौदूदी की टिप्पणी इस प्रकार है–

"यह अल्लाह के रास्ते में युद्ध करने के बारे में सबसे पहली आयत है जो अवतरित हुई। इस आयत में सिर्फ़ अनुमति दी गयी थी। बाद में सूरह बक़रा की आयतें 190 से 193 और 316 और 224 अवतरित हुई, जिनमें युद्ध का आदेश दिया गया है। इन आदेशों में केवल कुछ महीनों का अंतराल है। हमारे शोध के अनुसार यह अनुमति ज़िलहिज्जा सन 1 हिजरी में अवतरित हुई और आदेश बद्र की लड़ाई से कुछ पूर्व रजब या शाबान 2 हिजरी में अवतरित हुआ।"

जिहाद का आदेश भी न्याय की शर्त के साथ दिया गया–

"और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, परन्तु ज़्यादती न करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता।

"(कुरआन,2:190)

इस आदेश में न्याय की शर्त और उसकी नसीहत के अलावा दो मौलिक बातें ये हैं कि लड़ना उन लोगों से है जो (बाक़ी पेज 22)

इस्लामी मुआशरा और असरी मसाइल

— समी सुलतानपूरी

जैसे जैसे अहदे हाज़िर में साइंस और टेक्नालोजी की तरक्की दिलो–दिमाग के नेहाँख़ानों को रौशन कर रही है। मुस्लिम मुआशरे में तवह्हुम परस्ती का रुजहान उसी कदर सुरअत के साथ बढ़ रहा है इस की वजह ग़ालिबन नाख़्वान्दगी और तालीम से दूरीं है। जिस के नतीजे में अक़लियत पसन्दी के फुक़दान के बाअिस तवह्हुम परस्ती को सर उठाने का मौक़ा मिलता है। इस मुक़ाबले (कम्पटीशन) के अहद में सरकारी मुलाज़मत हासिल करने के लिये जहाँ उम्मीदारों को अनथक मेहनत और लगन से काम लेना पड़ता है वहीं बाअसर अफ़राद की ताईद व हिमायत भी दरकार होती है। आज़ादी के बाद हिन्दुस्तानी मुसलमान जमूद व तअत्तुल के शिकार हो गये और उन में तालीम हासिल करने का जज़्बा बराय नाम रह गया। दीनी मदारिस या इब्तिदाई तालीम के मराहिल से गुज़रने के बाद मुस्लिम तुलबा ज़्यादातर अपने आबाई कारोबार में लग गये- चूँकि मुसलमानों का एक बड़ा तबक़ा दस्तकारों पर मुश्तमिल है। उसको आसानी से आबाई पेशा इख्तियार करने से अपनी रोज़ी कमाने के मवाक़े आसानी से फराहम हो गये इस लिये उन्होंने आला तालीम पर सरमाया लगाने और आला मुलाज़िमतों की तरफ खातिर ख़्वाह तवज्जोह नही दी इस के बरअक्स मुसलमानों के तबक़े को जिसे हुक्मरानी करने का तवील तजुरबा था उस ने भी आला तालीम पर मेहनत सर्फ करने और अबनाये वतन के दोश बदोश अपनी अहलियत साबित करने के अमल में कोई ख़ास दिलचस्पी का मुज़ाहिरा नहीं किया इस तरह मुसलमान अपनी आबादी के लेहाज से सरकारी मुलज़िमतें हासिल करने में नाकाम रहा और अपनी कमज़ोरी का मुआइना न करके उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डालकर मुतमइन हो गया कि उसने अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया। इस में शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं कि उर्दू का सफाया हो चुका था। उर्दू की बक़ा में दीनी मदारिस ने कलीदी रोल अदा किया वरना एक तरह से उर्दू का सफाया हो चुका था। मुसलमानों ने उर्दू को इसलिये ज़िन्दा रखा क्योंकि उन का मज़हबी सरमाया उर्दू में मुन्तक़िल हो चुका है और उर्दू मुसलमानों की दीनी और मिल्ली ज़रूरत बन गयी वरना उर्दू के बड़े बड़े इनआमात हासिल करने वालों ने तो खुद अपने बच्चों को उर्दू की तालीम से महरूम रखा यह ऐसे लोग थे जो उर्दू की वकालत करते थे, उस की रोटी खाते थे, दूसरों को उर्दू की तालीम हासिल करने पर जोर देते थे, लेकिन खुद अपने बच्चों को इंगलिश मीडियम स्कूलों में दाख़िल कराते रहे ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आला मुलाज़िमत हासिल कर सकें।

गुज़िश्ता साठ वर्षों में मुसलमानों की तालीमी हालत में कोई ख़ास पेश रफ़्त नहीं हुई। मुसलमानों को अक़ल्लियती इदारों में अहलियत की बिना पर कम और असर व रुसूख़ तथा जोड़–तोड़ की बदौलत मुलाज़मतें ज़रूर मिलीं जिसका लाज़मी नतीजा यह हुआ कि इन अक़ल्लियती इदारों में कम सलाहियत वाले असातिजा के ज़ेरे–साया अगर कोई ज़हीन तालिबइल्म खुशकिस्मती से नमूदार हो गया हो तो उसे मुनासिब रहनुमाई न मिलने के बाइस वह भी तालीमी मैदान में कोई कारनामा अन्जाम न दे सका इस के बरअक्स अकसरीयत के इदारों में मादरी ज़बान के जरिये तालीम से महरूमी के नतीजे में मुस्लिम तुलबा गैर मुस्लिम तुलबा से तालीमी मैदान में पीछे रह गये जिस का लाज़िमी नतीजा यह निकला कि आम तौर पर जनरल गैर मुस्लिम उम्मीदवार के मुक़ाबिले में मुस्लिम उम्मीदवार कमतर साबित हुए। उर्दू असातिज़ा और उर्दू तरजमा कारों में मुस्लिम उम्मीदवार की 99: फीसद हिस्सेदारी की असल वजह गैर मुस्लिम की उर्दू ज़बान व अदब से बेएतनाई है जिस का लाजमी नतीजा यह निकला कि उर्दू ज़बान व अदब को जिस मंज़िल पर होना चाहिये था वहाँ तक उस की रसाई अभी तक नहीं हुई है। उर्दू में जो गैर मुस्लिम शायर या अदीब लिख रहें हैं अगर उनका दयानतदारी के

साथ मुहासबा किया जाय तो यह बात सामने आती है कि बावजूद अपनी कम तादाद के उन गैर मुस्लिम उर्दू शुअरा और अदीबों में उर्दू ज़बान व अदब में गैर मामूली सरमाया छोड़ा है। तहक़ीक़ में मालिकराम, कालीदास गुप्ता 'रजा', प्रोफेसर ज्ञानचन्द जैन और तनक़ीद में प्रोफेसर गोपी चन्द नारंग, फेकशन में प्रेम चन्द, कृष्णा चन्द, जोगेन्द्र पाल, रतन सिंह, राजेन्द्र सिंह बेदी, शायरी में फिराक गोरखपुरी, 'चकबस्त', सुरूर जहानाबादी, कृष्णा मोहन बलराज मनेरा वगैरह शख़्सियात के अदबी कारनामों को कोई नज़र अन्दाज़ नहीं कर सकता है। यह वह शख़्सायात हैं जिन्होंने अपने दायरेकार में गहरा नक़्श छोड़ा है।

आज तालीम याफ़्ता नौजवानों में बेरोज़गारी का तनासुब मुतवातिर बढ़ रहा है। इस की गिरिफ़्त में अकसरियती तबक़ा भी है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नालाजी को फरोग़ हासिल होगा आदमीयों की जगह मशीनें काम करेंगी तो बेरोज़गारी मे मज़ीद इज़ाफा होता जायेगा। हिन्दुस्तान जिस देही सनअतों के ढाँचे पर खड़ा था साइंस और टेक्नालोजी ने तक़रीबन उसे ढा दिया है। कम्प्यूटर ने और भी इनसानों की एक बड़ी तादाद को बेरोज़गारी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। इसलिये कि एक अकेला कम्प्यूटर दरजनों का काम करता है। कल कारख़ानों की चका चौंध ने देही सनअतों को बर्बाद करके रख दिया है जिसके नतीजे में गाँव में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल रही है। इन लाखों करोड़ो आदमियों को रोज़गार चाहियें जब रोज़गार के मवाक़े ही कम हैं तो सभी को रोज़गार मुहैया कराना किसके बस की बात है। इन्सान को ज़िन्दा रहने के लिये ग़िज़ा चाहिये चूँकि उसे ज़िन्दा रहना है इसलिये उसे ग़ैर मुनासिब तरीक़े से भी रोज़ी हासिल करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। मुस्लिम मुआशरा भी इस से अछूता नहीं।

दीनी मदारिस में चूँकि असातिज़ा की इतनी कम तन्ख़्वाह है कि इस होशरुबा गरानी के दौर में उससे इन की ज़रूरियाते जिन्दगी पूरी नहीं हो सकतीं इसलिये असातिज़ा को दर्स व तदरीस के अलावा दीगर ज़राये भी अपनाने पड़ते हैं। साइंसी तरक्की के दोश–बदोश मुआशरे में तवह्हुम परस्ती बुग्ज़ व हसद जैसी मुहलिक बीमारियाँ भी फैल रही हैं जिन का तदारुक माकूल तालीम और किताब व सुन्नत की रौशनी में किया जा सकता है। ज़रूरत एक ज़ेहनी व फिक्री इन्क़िलाब की है जो मुसलमानों की ख़ुदी को बेदार कर दे और उन्हें बाअमल इन्सान बना दे जब तक मुसलमान बेहिसी की दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे उनका खोया हुआ वक़ार हासिल नहीं होगा। बक़ौल डॉक्टर इक़बाल :–

जहाने ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद
कि संग व ख़िश्त से होता नहीं जहाँ पैदा

❑❑

धरती में बिगाड़..... लड़ाई की शुरूआत कर रहे हैं और लड़ना भी केवल ईश्वरीय मार्ग में है, किसी देश की सत्ता हथियाने की लोलुपता, युद्ध में प्राप्त संपत्ति के लोभ और निजी प्रतिशोध की भावना से नहीं।

"हां, यदि वे धर्म के मामले में तुम से सहायता मांगें तो उनकी सहायता करना तुम पर अनिवार्य है, लेकिन किसी ऐसी जाति के विरूद्ध नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो।"

(कुरआन,8:72)

"और अगर तुम्हें किसी जाति से विश्वासघात की आशंका हो तो उसकी संधि को खुल्लम–खुल्ला उसके आगे फेंक दो।"

(कुरआन,8:58)

❑❑

फ़िक़्हे इस्लामी.....

मुतअख़्ख़रीन फुकहा में अल्लामा इब्नि हुमाम ने फत्हुलकदीर में और मुल्ला अली क़ारी ने शरहे निकायः में दलीलें लिखने का एहातिमाम (प्रबन्ध) किया है। मौलाना अब्दुल हयी फिरंगी महली (रह.) ने भी शर्हेवकाया के हाशिये मे इस का एहातिमाम किया है। मौजूदा दौर में शदीद ज़रूरत है कि इस्लामी फ़िक़्ह की तदवीन (संकलन) इस तरह की जाए कि हर मसअले के दलाइल व मआख़िज़ (मूलस्थान) भी मअलूम होते जाएं और उन के हकीमाना और अख़लाक़ी पहलू भी ज़िहन नशीन होते जाएं।

❑❑

समाज सुधार

नेक काम में देर न कीजिये

— मौलाना मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी

बाद खुतब–ए–मसनूनः

अल्लमा नववी ने 'बाबुल मुबादरति इलल खैरात' में जो लिखा है उसका अर्थ यह है कि जब इन्सान अपनी हकीकत गौर करेगा, अल्लाह की अजमत उस की शान उसकी कुदरत उसके पालनहार होने पर गौर करेगा तो अल्लाह की इबादत की तरफ ध्यान जायेगा और स्वतः दिल में विचार आयेगा कि जिस मालिक ने यह सारी कायनात बनाई है, और जिस मालिक ने यह नेअमतें दी हैं और जिस मालिक ने मुझे रहमतों की बारिश में रखा है, उसी मालिक का भी मुझ पर कोई हक होगा? जब यह विचार पैदा हो, उस समय क्या करना चाहिये?

इस सवाल के जवाब के अल्लामा नववी ने यह बाब (अध्याय) काइम किया है कि जब भी अल्लाह की इबादत का विचार पैदा हो और किसी नेक काम करने का कारक सामने आये तो उस समय मोमिन का काम यह है कि शीघ्रात् शीघ्र उस नेक काम को कर ले। इसमें देर न लगाये। यही अर्थ है मुबादरत का, अर्थात किसी काम को जल्दी से कर लेना, टाल मटोल न करना और कल पर न टालना।

अल्लामा नववी सब से पहले यह आयत लाये हैं– तमाम इन्सानियत को सम्बोधित कर के अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अपने मालिक की मगफिरत (क्षमा) की तरफ और उस जन्नत की तरफ जल्दी से दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर, बल्कि इस से भी कहीं ज़्यादा है और मुत्तकी लोगों के लिये तैयार की गयी है। "मुसारअत" का अर्थ है जल्द से जल्द कोई काम करना। एक दूसरी आयत में फरमाया कि भलाई और नेकी के कामों में रेस और दौड़ लगाओ। सारांश इसका यह है कि जब किसी नेक काम का इरादा दिल में पैदा हो तो उसको टालो नहीं। इसलिये कि शैतान के दाँव और उसके हरबे हर एक के साथ अलग अलग होते हैं। काफिर के लिये और हैं मोमिन के लिये और हैं। मोमिन के दिल में शैतान यह बात नहीं डालेगा कि नेकी का काम मत किया करो, यह बुरे काम हैं, यह बात सीधे उसके दिल में नहीं डालेगा इसलिये कि वह जानता है कि यह ईमान वाला होने के कारण नेकी के काम को बुरा नहीं समझ सकता। लेकिन मोमिन के साथ उसका यह हरबः होता है कि उस से यह कहता है यह नमाज पढ़ना, यह फुलाँ नेक काम करना तो अच्छा है, इसको करना चाहिए, लेकिन इँशा अल्लाह कल से शुरू करेंगे। अब जब कल आयेगा तो हो सकता है वही इस विचार को भूल ही जाये और फिर जब कल आयेगा तो फिर यह कहेगा अच्छा भाई! कल से शुरू करूँगा, तो वह कल कभी जिन्दगी भर नहीं आयेगा। या किसी अल्लाह वाले की बात दिल में असर कर गई कि यह बात तो सही है, अमल करना चाहिये, अपनी जिन्दगी में तबदीली लानी चाहिये, गुनाहों को छोड़ना चाहिये, नेकियों को इख्तियार करना चाहिये। लेकिन इँशाअल्लाह इस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। जब इसको टाल दिया तो फिर कभी इस पर अमल की नौबत नहीं आयेगी।

इस तरह उम्र गुजरती जा रही है। कुछ पता नहीं कि कितनी उम्र है? कुरआन का इरशाद है कि कल पर मत टालो। जो विचार इस समय पैदा हुआ उस पर इसी समय अमल करो। क्या मालूम कि कल तक यह विचार (ललक) रहे न रहे और तो और यह भी पता नहीं कि तुम खुद जिन्दा रहो या न रहो तो यह पता नहीं कि यह ललक बाकी रहेगी या नहीं? और अगर ललक बाकी रही तो क्या मालूम उस समय हालात अनुकूल हों या न हों, इस समय जो ललक पैदा हुई है उस पर अमल कर के फायदा हासिल कर लो।

यह ललक अल्लाह की तरफ से मेहमान है। इस मेहमान की

ख़ातिर मदारत (शिष्टाचार) कर लो। इस की खातिर यह है कि इस पर अमल कर लो। अगर नफिल नमाज पढ़ने का विचार पैदा हुआ और यह सोचा कि यह फर्ज वाजिब तो है नहीं। अगर नहीं पढ़ेंगें तो कोई गुनाह तो होगा नहीं, चलो छोड़ो। यह तुम ने इस मेहमान की नाकद्री कर दी जो अल्लाह ने तुम्हारे सुधार की खातिर भेजा था। अगर तुमने उसी समय फौरन अमल न किया तो पीछे रह जाओगे। फिर मालूम नहीं दोबारा वह मेहमान आये न आये, बल्कि वह आना बन्द कर दे। क्योंकि वह मेहमान यह सोचेगा, यह व्यक्ति मेरी बात मानता नहीं और मेरी नाकद्री करता है, मेरी खातिर मदारत नहीं करता, मैं अब इसके पास नहीं जाता। बहर हाल वैसे तो हर काम में जल्दी करना बुरा है, लेकिन जब दिल में किसी नेक काम का विचार पैदा हो तो उस पर जल्दी अमल कर लेना ही अच्छा है।

अगर अपने सुधार का दिल में ख्याल आया कि जिन्दगी वैसे ही गुजर जा रही है, नफ्स (मन) की इस्लाह (सुधार) करनी चाहिये और अपने अख़लाक सुधारने चाहिये। लेकिन साथ ही यह सोचा कि जब फलाँ काम से फुरसत मिल जाये तो। यह फुरसत के इन्तेजार में उम्र के जो पल गुजर रहे हैं, वह फुरसत कभी आने वाली नहीं।

हमारे पिताजी मुफ्ती मुहम्मद शफी साहब फरमाया करते थे कि जो काम फुरसत में टाल दिया, वह टल गया, वह फिर नहीं होगा।

इस लिये कि तुमने उसको टाल दिया। काम करने का तरीका यह है कि दो कामों के बीच तीसरे काम को घुसा दो अर्थात वह दो काम जो तुम पहले से कर रहे हो, अब तीसरा काम करने का ख्याल आया, तो इन दो कामों के दरमियान तीसरे काम को जबरदस्ती घुसा दो, वह तीसरा काम भी हो जायेगा। और अगर यह सोचा कि इन दो कामों से फुरसत पाकर फिर तीसरा काम करेंगे तो फिर वह काम नहीं होगा। यह प्लान बनाना कि जब यह काम हो जायेगा तो फिर काम करेंगे यह सब टालने वाली बातें हैं, और शैतान आमतौर से इसी तरह धोखा में रखता है।

इस लिये नेक कामों में जल्दी करना और आगे बढ़ना कुरआन का तक़ाज़ा है। और अल्लामा नववी ने इसी के लिये यह बाब कायम फरमाया है, अर्थात भलाइयों की तरफ नेकी से आगे बढ़ना। अल्लामा नववी ने यहाँ दो शब्द प्रयोग किये हैं एक "मुबादरत" अर्थात जल्दी करना, दूसरा "मुसाबक़त" अर्थात मुकाबला करना और रेस लगाना नेकी के मामले में प्रिय है। और चीजों में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना बुरा है, जैसे धन की प्राप्ति में, जाह तल्बी के मामले में, इन सब में यह बात बुरी है कि इन्सान दूसरे से आगे बढ़ने की भावना एक प्रिय और प्रशंसनीय भावना है। कुरआन खुद कह रहा है कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक व्यक्ति को तुम देख रहे हो कि माशा अल्लाह इबादत में लगा हुआ है, गुनाहों से बच रहा है, अब कोशिश करो कि मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊँ, इसमें रेस लगाना बुरा नहीं।

दुनियावी असबाब में रेस लगाना जायज नहीं। यहाँ मामला उल्टा हो गया। इस वक़्त हमारी पूरी ज़िन्दगी रेस लगाने में गुजर रही है। लेकिन रेस इसमें लग रही है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कहाँ से आ जाये, दूसरे ने इतना कमा लिया, मैं इससे ज्यादा कमा लूँ। दूसरे ने ऐसा बंगला बना लिया मैं उस से आला दर्जे का बना लूं दूसरे ने ऐसी कार खरीदी, मैं इस से अच्छी खरीद लूँ, दूसरे ने ऐसे साज व सामान जमा कर लिया, मैं इससे आला दर्जे का जमा कर लूँ पूरी कौम इसी रेस में लगी है और इस रेस में हलाल व हराम की फिक्र मिट गयी है। इस लिये कि जब मन में यह भावना सवार हो गयी कि दुनियावी साज व सामान में दूसरे से आगे बढ़ना है, तो हलाल कमाई से आगे निकलना तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर हराम की तरफ झुकाव होता है और अब हलाल व हराम एक हो रहे हैं। जिस चीज में रेस लगाना शरअन बुरा था वहाँ सब मुकाबले पर लगे हुए हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ रहें हैं और जिस चीज में मुकाबला करना, रेस लगाना मतलूब था उसमें पीछे रह गये।

गजव–ए–तबूक में सहाबः रजि. ने क्या किया? बड़ी कठिन घड़ी थी। सख्त गर्मी का मौसम और लगभग बारह सौ कि.मी. का सफर, खजूरें पकने का जमाना जिस पर सारे साल की कमाई का दारोमदार है। सवारियाँ मयस्सर नहीं, पैसे मौजूद नहीं, और ऐसे में हुक्म दिया जा रहा है कि हर मुसलमान लड़ाई पर चले और उस में शरीक हो। अल्लाह के रसूल सल्ल. ने मस्जिदे नबवी में खड़े होकर फरमाया कि लड़ाई का मौका है सवारियों की जरूरत है, उँटनियाँ चाहिये, पैसों की जरूरत है। मुसलमानों को चाहिये कि इसमें बढ़चढ़ कर योगदान करें। जो ऐसा करेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। अब सहाबः कहाँ पीछे रहने वाले थे। हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार योगदान दे रहा है, कोई कुछ ला रहा है कोई कुछ ला रहा है। हजरत फारूके आज़म फरमाते हैं कि मैं अपने घर गया और घर का आधा साज व सामान लेकर आया और चाहा कि हजरत अबू बक्र से आगे निकल जाऊँ, उन्होंने कभी इस की रेस नहीं लगाई कि मैं हजरत उस्मान गनी से पैसे में आगे बढ़ जाऊँ। बड़ी देर में हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि. तशरीफ लाये और घर में जो कुछ था हाजिर कर दिया। मुहम्मद सल्ल. ने पूछा ऐ उमर! घर में क्या छोड़ आये हो? अर्ज किया आधा घर वालों के लिये छोड़ आया हूँ, आधा साथ लाया हूँ। आप सल्ल. ने दुआयें दीं। इसके बाद हजरत अबू बक्र से पूछा तुम ने घर में क्या छोड़ा? अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। हजरत फारूके आज़म फरमाते हैं कि उस निद मुझे पता चला कि मैं चाहे सारी उम्र कोशिश करता रहूँ लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर से आगे नहीं बढ़ सकता।

एक मर्तबः फारूके आज़म ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ि. से कहा, आप मेरे साथ एक मामला करें तो मैं बड़ा एहसान मन्द हूँगा। उन्होंने पूछा क्या मामला? फरमाया, मेरी सारी उम्र की जितनी नेकियाँ हैं वह सब मुझ से लेलें और वह एक रात जो आप ने अल्लाह के रसूल सल्ल. के साथ गारे सौर में गुजारी वह मुझे देदें। सहाबा की जिन्दगी को देखें तो कही यह बात नजर नहीं आती कि यह सोचें कि फलाँ ने इतने पैसे जमा कर लिये हैं मैं भी जमा कर लूं। फलां का मकान बड़ा शानदार है मेरा भी वैसा हो जाता। फलाँ की सवारी बहुत अच्छी है वैसी मुझे भी मिल जाती। लेकिन नेकी में आगे निकल जाने की भावना नजर आती है। और आज हमारा मामला बिल्कुल उल्टा चल रहा है। नेकी में आगे बढ़ने की कोई फिक्र नहीं और माल के अन्दर सुबह से लेकर शाम तक दौड़ हो रही है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में हैं।

हमारे नबी सल्ल. ने फरमाया, दुनिया के मामले में हमेशा अपने नीचे वाले को देखो और अपने से कमतर हैसियत वालों के साथ रहो। उन का सत्संग इख्तियार करो और उनके हालात को देखो। क्यों? इस लिये कि जब दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखोगे तो जो नेअमतें अल्लाह ने तुम को दी हैं उनकी कद्र होगी, और इससे कनाअत (सन्तोष) पैदा होगी, शुक्र पैदा होगा और दुनिया तल्बी की रेस कम होगी। दीन के मामले में जब ऊपर वालों को देखोगे तो अपनी कमी का एहसास होगा और आगे बढ़ने की फिक्र पैदा होगी।

हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो मुहद्दिस भी हैं फकीह भी हैं, सूफी भी हैं फरमाते हैं कि मैं ने अपनी जिन्दगी की शुरूआत का हिस्सा मालदारों के साथ गुजारा (खुद भी मालदार थे) सुबह से शाम तक मालदारों के साथ रहता था, लेकिन जब तक मालादारों के साथ रहा मुझसे ज्यादा दुखी इन्सान कोई नहीं था। क्योंकि जहाँ जाता हूँ यह देखता हूँ कि इसका घर मेरे घर से अच्छा है, इस की सवारी मेरी सवारी से अच्छी है, इसका कपड़ा मेरे कपड़े से अच्छा है। इन चीजों को देखकर मेरे दिल में कुढ़न पैदा होती है कि मुझे तो मिला नहीं और इसको मिल गया। लेकिन बाद में दुनियावी हैसियत से जो कम माल वाले थे उनकी सुहबत इख्तियार की और उनके साथ उठने बैठने लगा तो मैं राहत में आ गया। इस वास्ते कि जिस को भी देखता हूँ तो मालूम होता है कि मैं तो बहुत खुशहाल हूँ। मेरा खाना, कपड़ा घर सवारी सब कुछ इस से अच्छा है।

यह नबी (सल्ल.) के इरशाद पर अमल करने की बरकत है। दुनिया के अन्दर अपने से ऊँचे को देखते रहोगे तो कभी पेट नहीं भरेगा। फरमाया अगर इन्सान को एक घाटी सोने की भर कर मिल जायें तो वह कहेगा कि दो घाटियाँ मिल जाये। और जब दो मिल जायें तो कहेगा तीन मिल जायें उसे कभी सन्तोष नहीं होगा।

मेरे वालिद फरमाया करते थे राहत और आराम और चीज है, राहत के असबाब से राहत हासिल होना कोई जरूरी नहीं राहत अल्लाह का वरदान हें हमने आज राहत के असबाब (कारक) का नाम राहत रख दिया है बहुत सारा रुपया रखा हो तो क्या भूख के समय उसको खालेगा? और अगर उस पैसे से राहत का सामान खरीद भी लिया राहत के असबाब मौजूद हैं लेकिन साहब बहादुर को गोली खाये बगैर नींद नहीं आ रही हैं एक वह व्यक्ति है कि घर पर न तो पक्की छत है, न चारपाई है, बस एक हाथ अपने सर के नीचे रखा ओर भरपूर नींद लेकर सुबह जागा। याद रखो अगर दुनिया की राहत जमा करने में लग गये और दूसरों से आगे निकल जाने की फ़िक्र में लग गये तो राहत के असबाब तो जमा हो जायेंगे मगर राहत फिर भी हासिल न होगी।

वालिद साहब के जमाने में एक साहब थे बहुत बड़े मिल ओनर, इन्टरनेशनल कारोबार था। एक दिन वालिद साहब ने पूछा कि आप की औलाद कितनी हैं, उन्होंने जवाब दिया एक लड़का सिंगापुर में है, एक फलाँ मुल्क में है, सब बाहर हैं फिर पूछा लड़के घर तो आते जाते होंगे ? उन्होंने बताया कि एक लड़के से मुलाकात हुए पन्द्रह साल हो गये हैं पन्द्रह साल हो गये बाप–बेटे की मुलाकात नहीं हुई। तो अब बताओ। ऐसा रुपया और ऐसी दौलत किस काम की जो औलाद को बाप की शक्ल न दिखा सके। याद रखें राहत पैसे के जरिये नहीं खरीदी जा सकती।

यह पैसा, यह साज व सामान, यह माल व दौलत जो कुछ तुम जमा कर रहे हो यह अपने आप में राहत देने वाली चीज नहीं। राहत पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। जब तक सन्तोष पैदा नहीं होगा और जब तक यह ख़्याल पैदा नहीं होगा कि अल्लाह तआला हलाल तरीके से जितना मुझे दे रहे हैं उसी से मेरा काम चल रहा है, उस वक्त तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वरना कितने लोग ऐसे है जिन के पास अथाह धन है लेकिन एक पल का सुकून नहीं यह सब इस दुनिया की दौड़ का नतीजा है इस लिये कि अल्लाह के रसूल सल्ल. यह फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में अपने से ऊँचे आदमी को न देखो कि वह कहाँ जा रहा है, बल्कि अपने से नीचे वाले को देखो कि उन के मुकाबले में अल्लाह ने तुम्हें कया कुछ दे रखा है। इस के जरिये तुम्हे क़रार आयेगा, तुम्हें राहत मिलेगी ओर सूकून हासिल होगा।

❑❑

[illegible]

— इदारा

लाहुलस्पिति : पर्यटकों के लिए 'हिमाचल का करिश्मा' और नौकरीपेशे से जुड़े लोगों के लिए 'काला पानी की सजा स्थल के नाम' से मशहूर 'काला' यहीं है। रोहतांग दर्रे के उस पार बसा यह स्थल दुनिया के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

क्षेत्रफल	आबादी	तापमान	ऊँचाई	वर्षा
	....	गरमी 26.8– 1.38 से.	....	32 से.मी
वर्षा कि.मी.		सर्दी 6.1–19.38 से		

कसौली: नयनाभिराम और दिलकश नजारों से भरपूर कसौली में अंग्रेजों के बनाए बंगले और कोठियां आज भी पर्यटकों और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रख्यात लेखक रास्किन बांड का जन्म यहीं हुआ था।

एसटीडी कोड : ०१६००२

क्षेत्रफल	आबादी	तापमान	ऊँचाई	वर्षा
	....	गरमी 35–20 से.	1927	1603मि..मी.
वर्षा कि.मी.		सर्दी 10– -2 से.		

पंजाब

अमृतसर : स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह शहर करीब ४२५ वर्ष पुरान है जो कला, स्थापत्य, संस्कृति और इतिहास की जीती जागती मिसाल है। इस शहर का शिलान्यास लाहौर के हजरत मियां मीर ने किया था।

एसटीडी कोड : ०१८३

क्षेत्रफल	आबादी	तापमान	ऊँचाई	वर्षा
	....	गरमी 35–20 से.	1927	1603मि..मी.
वर्षा कि.मी.		सर्दी 10– -2 से.		

चंडीगढ़ : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का यह पहला शहर है जिसे सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया। इंडोफ्रांस शिल्प के बेहतरीन नमूने के रूप में पहचाने जाने वाले इस शहर को राक गार्डन, सुखना झील, रोज गार्डन में पर्यटकों की भीड़ हर मौसम में देखने को मिलती है।

एसटडी कोड : ०१७२

क्षेत्रफल	आबादी	तापमान	ऊँचाई	वर्षा
	....	गरमी 35–20 से.	1927	1603मि. मी.
वर्षा कि.मी.		सर्दी 10– -2 से.		

लुधियाना : सतलज नदी के किनारे बसा यह शहर आज पूरी दुनिया में ऊनी वस्त्र, साइकल पार्ट्स, सिलाई मशीन आदि बनाने के लिए जाना जाता है। यहीं प्रसिद्ध पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है।

एसटीडी कोड : ०१६१

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—इदारा

प्रश्न : तयम्मुम कब किया जाता है? किस चीज़ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है? हम सऊदिया में काम करते हैं यहां देखते हैं कि लोग मिट्टी पर एक ही बार हाथ मार कर गट्टों तक हाथ मल कर मुंह पर भी फेर लेते हैं जब कि हमने अपने मुल्क में तयम्मुम करने वाले को दो बार मिट्टी पर हाथ मारते देखा था।

उत्तर : नजासते हुक्मी (बे वज़ू हो जाना या नहाने की ह़ाजत हो जाना) दूर करने के लिए पानी न मिलने या पानी के नुक़सान करने की ह़ालत में तयम्मुम किया जाता है। कुछ उ़लमा के नज़दीक केवल पाक और बारीक मिट्टी पर तयम्मुम किया जा सकता है जबकि कुछ उ़लमा के नज़दीक पाक मिट्टी या उस की जिन्स पर तयम्मुम जाइज़ है। पत्थर, कंकर, चूना, सीमेंट, मिट्टी या पत्थर की दीवार, मिट्टी या पत्थर के बर्तन इन सब पर तयम्मुम जाइज़ है, ह़नफ़ी उ़लमा का इसी पर अ़मल है। लकड़ी पर गर्द जमी हो तो उस पर भी तयम्मुम जाइज़ है। यह इख़्तिलाफ़ सईद के मअ़ना (अर्थ) लेने में हुआ है। क़ुरआन मजीद में "फ़तयम्मू सईदन् तय्यिबन्" (पाक मिट्टी से तयम्मुम करो) कुछ उ़लमा ने सईद के मअ़ना आ़म मिट्टी के लिये है, कुछ उ़लमा ने बारीक मिट्टी जो हाथ मारने पर हाथ में लग जाये मअ़ना लिये हैं और दोनों मअ़ना की गुंजाईश है। सिर्फ़ एक बार पाक मिट्टी पर हाथ मार कर गट्टों तक दोनों हाथ मल कर मुँह पर मलने की भी सह़ीह़ रिवायत है और एक बार हाथ मार कर कुहनियों समेत दोनों हाथ मलने फिर मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे पर मलने की रिवायत भी मौजूद है, ह़नफ़ी उ़लमा का इसी पर अ़मल है लेकिन गुंजाईश दोनों की है। गट्टों तक या कुहनियों तक मसह़ का इख़्तिलाफ़ भी 'यद' के मअ़ना लेने में है। तयम्मुम चाहे वुज़ू का हो चाहे ग़ुस्ल का, दोनों का तयम्मुम एक ही तरह़ होगा सिर्फ़ नीयत में फ़र्क़ होगा, दिल में इरादा करे कि मैं वुज़ू की जगह पर तयम्मुम करता हूँ या फ़र्ज़ ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम करता हूँ। याद रहे तयम्मुम से नजासते-हुक्मी दूर होगी, नजासते-ह़क़ीक़ी पानी से धोने पर ही दूर होगी। जिन असबाब से वुज़ू टूट जाता है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है। पानी न मिलने पर वुज़ू किया था तो पानी मिलते ही वुज़ू टूट जायेगा। ग़ुस्ल के लिये तयम्मुम किया था तो अब पानी से ग़ुस्ल करना होगा। इसी तरह़ पानी नुक़सान कर रहा था अब नुक़सान नहीं करता तो भी वुज़ू या ग़ुस्ल पानी से करना होगा।

तयम्मुम करने के लिये बिस्मिल्लाह पढ़ कर खुली उंगलियों के साथ पाक मिट्टी पर हाथ मार कर दोनों हाथ कुहनियों तक मले, पहले बायें हाथ से दाहिने हाथ को मले फिर दाहिने हाथ से बायें हाथ को मले, फिर दोबारा मिट्टी पर हथेलियाँ मार कर मुंह पर मल ले, हथेलियों में गर्द लग जाये तो उसे मलने से पहले मुंह से फूँक कर या हाथ झटक कर झाड़ दें। तयम्मुम में पाकी ह़ासिल करने की नीयत करना और पाक मिट्टी पर हाथ मारना और दोनों हाथों और चेहरे पर मलना फ़र्ज़ है। ह़नफ़ी उ़लमा के नज़दीक मिट्टी पर दो बार हथेलियां मारना फ़र्ज़ है, एक बार हाथों पर मलने के लिये दोबारा चेहरे पर मलने के लिये।

प्रश्न : नमाज़ी के सामने से गुज़रने और नमाज़ी के लिये अपने सामने सुतरा रखने का क्या हुक्म है?

उत्तर : ह़ज़रत अबू जहीम अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ारिस (रजि.) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स नमाज़ी के आगे से गुज़रता है अगर उसे मअ़लूम होता कि कितना बड़ा गुनाह है तो आगे से गुज़रने की निसबत उस के लिये चालीस साल या चालीस महीने या चालीस दिन (बाद के रावी को शक हो गया) ज़मीन पर खड़ा रहना बेहतर होता। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अलबत्ता मस्जिदे–हरम (मक्का मुकर्रमा) में नमाज़ी के आगे से गुज़रने की रुख़सत है।

हज़रत मुत्तलिब बिन अबी बिदाआ (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने बनी सहम के क़रीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा और लोग आपके आगे से गुज़र रहे थे, आपके और उनके बीच कोई सुत्रा नहीं था। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद बिन हंबल)

इस हदीस की बिना पर शाफ़ई हज़रात का मज़हब यह है कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने की हुरमत सिर्फ़ इस सूरत में है जब कि उसने अपने आगे सुत्रा बना रखा हो और गुज़रने वाला सुत्रा और नमाज़ी के बीच से गुज़र रहा हो लेकिन अगर उसने सुत्रा न बनाया हो तो ऐसे नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर कोई गुनाह नहीं। (अलफ़िक़्ह अलल् मज़ाहिबिल अरबआ, जिल्द–1 सफ़हा–262)

हनफ़ी हज़रात के नज़दीक अगर नमाज़ी किसी बड़ी मस्जिद या खुले मैदान में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके पांव और सजदे की जगह के बीच से गुज़रना हराम है, कुछ उलमा ने लिखा है कि नमाज़ी खड़ा होकर सजदे की जगह पर निगाह करे अब उसकी निगाह जहां तक फैलती है उसके अन्दर से न गुज़रे, मुनासिब है कि नमाज़ी के आगे एक सफ़ के अन्दर से न गुज़रे लेकिन अगर मस्जिद छोटी है तो नमाज़ी के पांव के पास से चालीस हाथ तक सामने से न गुज़रे।

हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तुम में से कोई शख़्स अपने सामने किसी चीज़ को सुत्रा बना कर नमाज़ पढ़ रहा हो फिर अगर कोई सुत्रा और नमाज़ी के बीच से गुज़रना चाहे तो नमाज़ी को चाहिए कि उसे रोके अगर वह न माने तो उस से लड़े। (यानी हाथ बढ़ा कर रोके) इस लिए कि वह शैतान है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जो शख़्स छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हो और सुत्रा न बनाया हो या बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई सामने क़रीब से गुज़रे तो भी नमाज़ी के लिए जाइज़ है कि उसे हाथ के इशारे से रोके।

नमाज़ी के लिए सुत्रा बनाना मुस्तहब है। सुत्रे के लिए किसी छड़ी या लकड़ी का खड़ी कर देना काफ़ी है, या कोई चीज़ रख दी जाए। सुत्रा क़रीब रखना चाहिए, यानी सज्दा करने की जगह के क़रीब, सुत्रा नमाज़ी के बिल्कुल सीध में न हो, ज़रा दाएं या बाएं हटा हो।

हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद से रिवायत है कि मैंने जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी टहनी या सुतून या दरख़्त की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो यही देखा कि आप उसे अपने सामने नहीं बल्कि कुछ दाएं या बाएं किए हुए थे। (अबूदाऊद)

याद रहे कि इमाम का सुत्रा मुक़्तादियों का भी सुत्रा होता है।

❑❑

मेरी नियत.....

जबकि ईसाइयत में अफ़राद को गुनाहों से रोकने की तरग़ीब नहीं दी जाती। बल्कि एक तरह से आज़ादी दे दी जाती है। वह जिस कद्र हराम काम करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि ख़ुदा के बेटे मसीह ने उनसे वादा किया है कि मौत के बाद किसी गुनाह के बारे में उनसे सवाल–जवाब नहीं होगा। जबकि इस्लाम हर फर्द को अमल का जिम्मेदार ठहराता है। पैगम्बरे–इस्लाम सल्ल. का साफ ऐलान है कि ख़ुदा के सामने हर शख़्स को अपने आमाल का ख़ुद जवाब देना पड़ेगा। हर शख़्स को आख़िरत में वही कुछ मिलेगा जिसे वह दुनिया से अपने साथ लेकर जायेगा।

एक दिन अमेरिकी दुनिया पादरी अब्दुल हक़ का यह ऐलान मीडिया में पढ़कर हैरान रह गयी कि कल का पादरी अब्दुल हक़ आज मुसलमान अब्दुल हक़ हो चुका है। और उसने हक़ तलाश कर लिया है। अब्दुल हक़ का कहना है कि अल्लाह की ज़ात हक़ है और मैं उसका बन्दा हूं। यह कैसा अच्छा रिश्ता है जो ख़ुदा और बन्दे के दर्मियान क़ायम हुआ है। अल्लाह की ज़ात पाक है। उसने अपने बन्दे को हक़ की दौलत अता कर दी। अल्लाह करे ईसाई दुनिया में और जितने अब्दुल हक़ हों वह सब मेरी कहानी से सबक़ हासिल करके, इस्लाम का हिस्सा बन जायें।

❑❑

मेरी नीयत सच्ची थी

-अब्दुल हक़ (अमेरिका)

बच्चे हों या जवान औरतें हों या मर्द सब एक ही अन्दाज़ से कुर्आन की तिलावत करते हैं। अगर कुर्आन पढ़ने में कोई ग़लती करता है तो दूसरा शख़्स फ़ौरन उसको दुरुस्त करा देता है। इसके मुकाबले में ईसाई अपनी मर्ज़ी से बाईबिल पढ़ते हैं। और कोई शख़्स यह नहीं कह सकता कि बाइबिल पढ़ने का उसका लेहजा दुरुस्त है। हर ईसाई दुसरे ईसाई के बाइबिल पढ़ने के लेहजे से गैर मुतमइन नज़र आता है। जबकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कुर्आन सुन कर झूमने लगता है और उस पर एक अजीब कैफ़ियत तारी हो जाती है।

मेरा नाम पादरी अब्दुल हक़ था। यह नाम मुझे मेरे वालिद ने दिया था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने किसी दूसरे ईसाई दोस्त को अपना हमनाम नहीं पाया। लेकिन न जाने क़्या बात थी यह मेरे नाम का असर था या मेरे मिजाज की ख़ुसूसियत कि मैं बचपन ही से हर मामले में हक़ की तलाश और छानबीन किया क़रता था। जब मेरी तालीम शुरू हुई। तो उस वक़्त भी अपने साथियों से हर बात पर ख़ूब बहस करता रहता था। यह मेरे मिज़ाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ था कि मैं किसी वजह के बग़ैर कोई बात आसानी से कुबूल कर लूं। अचानक एक दिन मेरे एक साथी ने मुझ पर ताना कसा कि मैं ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। क्योंकि यह नाम मुसलमानों ही का होता है। मेरे दोस्त की दलील थी कि मैं अपना कोई दूसरा हमनाम ईसाई तलाश करके साबित करूँ कि ईसाइयों में भी यह नाम रखा जाता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई दूसरा मेरा हमनाम मिल जाये तो मैं साबित करूँ कि अब्दुल हक नाम ईसाइयों में भी रखा जाता है। लेकिन जब मुझे अपना कोई दूसरा हमनाम ईसाई न मिला तो मैंने अपने वालिदैन से इस मामले में तहक़ीक़ की। उनका जवाब था कि उन्होंने मेरा नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। क्योंकि यह नाम मुसलमानों में आम है। इसलिए मैं ईसाई मज़हब की तालीम पूरी करने के बाद जब मुसलमानों में जाकर ईसाई मज़हब की तबलीग़ करूँ तो लोग मुझे आसानी से पहचान न सकें और मुसलमान मुझे अपना भाई समझकर ही मेरी बात सुनें, और इस तरह मैं मुसलमानों के दिलों में ईसाई तालीमात व नज़रियात को उतारता और बिठाता रहूँ।

चुनांचि ऐसा ही हुआ। जब मैं ईसाई मज़हब की मिशनरी का हिस्सा बन गया और मुसलमानों की महफिलों में बैठ कर बड़ी ख़ामोशी से ईसाइयत की तबलीग़ करने लगा तो मुसलमान मुझे पहचान नहीं पाते थे और मेरी बातों को ग़ौर से सुनते थे। लेकिन अजीब बात थी कि मैं मुसलमानों की मजलिसों में जाकर उनसे बहस करने में कामयाब नहीं होता था। अचानक एक रोज़ मुझे ख़्याल हुआ कि जब मेरा नाम इस्लामी तर्ज़ का है तो मैं इस्लाम की असलियत को जानने की कोशिश क्यों न करूँ। यह मेरी ख़ुशक़िस्मती थी कि मुझे कुछ ऐसे मुसलमान दोस्त मिल गये जिन्होंने इस्लाम का मुताला करने में मेरी मदद की। और मेरे सैंकड़ों पेचीदा सवालों का तसल्ली बख़्श जवाब देकर मुझे मुतमईन किया। मुझे मेरे मुस्लिम दोस्तों ने ऐसी कई किताबें फराहम करा दीं जिनके मुताले से मेरी जेहनी उलझनें ख़त्म हो गयीं। और मुझे यक़ीन हो गया कि ख़ुदा एक है। उसका कोई साझी नहीं। वह क़ादिरे–मुतलक़ है। उसके इख़्तियारात में कोई शरीक नहीं हो सकता। इसाइयत में तसव्वुर यह है

कि खुदा हर तरह की कुदरत रखने के बावजूद अपने वजूद के दो मज़ीद हिस्से रखता है। मसीह और मर्यम उससे जुदा हैं। लेकिन उसके बावजूद उसी की तरह इख़्तियारात रखते हैं। यह एक ऐसी बात है जो इन्सानी अक़्ल को कभी अपील नहीं कर सकती। फिर भी सारी ईसाई दुनिया इस पर ईमान रखती है। इसके मुक़ाबले में जब इस्लामी किताबों के मुताले से मुझे यह मालूम हुआ कि पैगम्बरे-इस्लाम ने ख़ुदा की वहदानियत का पैग़ाम दिया और सारी दुनिया को यह सबक़ पढ़ाया कि ज़मीन और आसमान में खुदा के अलावा किसी की ज़ात इबादत के लाएक नहीं है। वह अकेला ही है। उसी ने सारी काइनात को पैदा किया है। हर चीज़ उसके हुक्म की मोहताज है। एक पत्ता भी उसके हुक्म के बग़ैर हिल नहीं सकता। जबकि ईसाइयत में यह कहा गया है कि खुदा मसीह और मर्यम जब किसी फैसले पर मुत्तफिक होते हैं तो काइनात का कारोबार चलता है। वरना कुदरत के काम यूं ही पड़े रहते हैं।

हक़ीक़त को पूरी तरह समझने के लिए मैंने कुर्आन मजीद का मुताला किया और उसके मुख़्तलिफ़ तर्जुमों को पढ़ा। मुझे हैरत थी कि सारी दुनिया में मुसलमान एक ही तरीके से कुर्आन मजीद की तिलावत करते हैं। उनकी मादरी जबानें सैंकड़ों हैं। लेकिन कुर्आन पढ़ने का तरीका एक जैसा है। बच्चे हों या जवान औरतें हों या मर्द सब एक ही जन्दाज से कुर्आन की तिलावत करते हैं। अगर कुर्आन पढ़ने में कोई गलती करता है तो दूसरा शख़्स फौरन उसको दुरूस्त करा देता है। इसके मुकबले में ईसाई अपनी मर्ज़ी से बाइबिल पढ़ते हैं। और कोई शख़्स यह नहीं कह सकता कि बाइबिल पढ़ने का उसका लेहजा दुरुस्त है। हर ईसाई दूसरे ईसाई के बाइबिल पढ़ने के लहजे से गैर मुतमइन नज़र आता है। जबकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कुर्आन सुन कर झूमने लगता है और उस पर एक अजीब कैफ़ियत तारी हो जाती है।

मैं ईसाई अब्दुल हक था। लेकिन धीरे-धीरे मुसलमान अब्दुलहक़ बनता जा रहा था। अगरचः यह सारी तब्दीली मेरे अन्दर में हो रही थी और मैं खुद पर जब्र करके अपनी शख़्सियत को ईसाइयत के ख़ोल में बन्द किये हुए था। लेकिन चूंकि मेरी नीयत सच्ची थी और मैं खुद को हक़ की तलाश में डुबो चुका था। इसलिए ख़ुदा की तरफ़ से मुझे हिदायत का मिलना यक़ीनी हो गया था। मुझे इसका अन्दाज़ा नहीं था कि मेरे वालिदैन मेरे नाम की रिआयत से जो फायदा हासिल करना चाहते हैं उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा बरामद होगा। यानी अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से मुझे इस्लाम की दौलत मिल जायेगी। और मैं मुसलमानों को ईसाइयत की तालीम देने के बजाय ईसाइयों को ही इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दूंगा।

तौहीद की तालीम के साथ मुझे इस्लाम के समाजी पहलू ने बेहद मुतास्सिर किया। मुस्लिम इलाक़ों में जाकर मैंने रहाइश इख़्तियार की तो मैंने देखा कि इस्लामी सोसाइटी में एक सिस्टम मौजूद है और बगैर सिस्टम के यहां कोई काम नहीं होता। नमाज़ मुसलमानों के मिज़ाज को एक सिस्टम का आदी बनाती है। दुनिया की किसी और क़ौम में नमाज़ जैसी इबादत का तसव्वुर मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज़ के सिस्टम के आदी होने की वजह से एक मख़सूस मिज़ाज रखते हैं। आलमी सतह पर कोई दूसरी क़ौम मुसलमानों के अलावा ऐसी नहीं है जिसमें सिस्टम की इतनी गहरी यकसानियत नज़र आती हो। यही मामला मुसलमानों के रहन सहन का है कि जो चीजें इस्लाम ने हलाल क़रार दीं हैं उनको दुनियां के सारे मुसलमान हलाल मानते हैं और जिन चीजों को हराम क़रार देकर इस्तेमाल करने से रोक दिया है उनको दुनिया के सारे मुसलमान हराम ही ठहराते हैं। जबकि इस तरह की आलमी यकसानियत दुनिया की दूसरी कौमों में मौजूद नहीं है। मैंने देखा कि इस्लाम ने जाहिर व बातिन के अलग अलग होने से मना किया है। इस्लाम की पाकीगज़ी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वह इन्सान को दोहरा रवैया इख़्तियार करने से रोकता है।

इस्लाम की सज़ायें बिला शुबहा निहायत सख़्त हैं। लेकिन उनका मक़सद दुनिया से जरायम का ख़ातमा करना है।

बाक़ी पेज 28 पर

भूगोल (छात्रों के लिये)

ग्रहीत (राष्ट्रीय सहारा 28.09.2008)

भूगोल एक विस्तृत विषय है, धरती से आकाश तक फैले अधिक विज्ञानों का सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार भूगोल से जुड़ जाता है। भूगोल ही से हम जान पाते हैं कि विश्व के देशों की संख्या क्या है? और कौन सा देश किस क्षेत्र में बसा है? किस देश का जल वायू कैसा होता है? वहां के लोगों की व्यस्तताएं क्या हैं? उनकी आय के साधन क्या हैं? वहां के लोग खाने पीने में किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? वहाँ का उत्पादन क्या है? यहाँ तक कि रंग रूप के नियुक्त में भी भूगोल का विशेष महत्व है। जैसे किसी गोरे चिट्टे भूरे बाल वाले मनुष्य को देखते ही हमें उसकी मातृभूमि का ज्ञान हो जाता है या किसी काले व्यक्ति को देखते ही हमें यह समझने में कठिनाई नहीं होती कि इसका सम्बन्ध किस क्षेत्र से है। किसी मनुष्य की चिपटी नाक और भूरी आखं संकेत करती हैं कि वह किस देश का निवासी है।

भूगोंल एक मनमोहक तथा जिज्ञासा पूर्ण विषय है। इसलिये कि इसके द्वारा हमें केवल सौर्यजगत ही का ज्ञान प्राप्त नहीं होता अपितू यह भी ज्ञात होता है कि अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं जो निरंतर चक्र में रहते हैं?

बहुत दिनों तक सभी लोग इस मूल में ये कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है एक लम्बे काल के उपरांत लोगों पर भूगोल वैज्ञानिकों ने यह बात खोली कि सुर्य चक्कर नहीं लगाता वह तो अपने आधार पर स्थिर रहता है अपितु धरती सूर्य के चारो ओर घूमती है। हां पूरा सूर्य मंडल किसी ओर द्रुतगति से भागा चला जा रहा है।

विद्यार्थियों के लिये भूगोल एक मनमोहक विषय उस समय सिद्ध हो सकता है जब विद्यार्थियों को स्वंय इसमें रूचि हो, वह वैज्ञानिक स्वभाव के हों, नवीन वस्तुओं को जानने और उसमें विशेषज्ञ बनने की अभिलाषा हो। इस लिये कि जिज्ञासा, रूचि तथा उल्लास के बिना कोई भी विषय उबाऊ लगता है। देखने में भूगोल एक शुष्क विषय है। जो विद्यार्थी स्नातक स्तर पर भूगोल पढ़ रहे हैं, उनको यह बात भली भांति मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिये कि भूगोल केवल देशों तथा क्षेत्रों के अन्वेषण पर आधारित नहीं है अपितु भूगोल द्वारा एक स्थान का दूसरे स्थान से तुलनातमक अध्ययन भी किया जाता है। भूगोल द्वारा किसी देश के समृद्धि तथा दुर्दशा का अध्ययन भी किया जाता है। यह जानने की चेष्टा की जाती है कि यह खाड़ी के देश क्यों समृद्धि हैं? तथा अफरीका के लोग क्यों दीनता का जीवन बिताने पर विवश हैं? सूमालिया की जनता को दो समय की रोटी क्यों नहीं मिल पाती? योरपी देशों में बारा मास क्यों ठन्डक पड़ती है? खाड़ी देशों में वर्षा क्यों कम होती है? समुद्रों में ज्वार भाटा क्यों आता है? सोनामी प्रकोप क्यों आया? भूगोंल अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि भूचाल क्यों आते है? ज्वाला मुखी क्यों फूटते हैं? आदि इसी प्रकार के अन गिनत प्रश्नों के उत्तर हमको भूगोल पढ़ने से प्राप्त होतें हैं।

भूगोल में धरती का अनवेषण मानव घर के समान किया जाता है अतः वह विद्यार्थी जो भूगोल में उच्च शिक्षा चाहते हैं, उन के लिये आवश्यक है कि वह आरंभ ही से इस विषय पर विशेष ध्यान दें पूर्व इसके कि वह मौखिक पुस्तकों का अध्ययन करें। वह भूगोल का आधार अवश्य समझ लें। वह जान लें कि क्या–क्या बातें भूगोल की सीमा में आती हैं? भूगोल का मूल तत्व क्या है? भूगोल में निपुणता प्राप्ति हेतु किन–किन लेखकों की पुस्तकें सहायक होंगी? इन बातों पर मुख्यता ध्यान की आवश्कता है।

भूगोल के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य है कि वह अपने विषय को पुस्तकों की परिधि से निकाल कर वर्तमान परिस्थिति से भी जोड़ कर देखें। वह यह जानने का प्रयास करें कि प्रमाणु शक्ति में सुदृढ़ि देश निर्बल देशों पर क्यों आक्रमण करते हैं? इराक पर अमेरीका ने क्यों आक्रमण किया? इराक में शान्ति तो एक पाखन्ड है आक्रमण के पीछे कोई और उद्देश्य है। भूगोल के छात्रों को उसके तल तक जाने की आवश्यकता है जिससे वह स्वयं उसकी वास्तविकता से अवगत हों तथा जंन साधारण को सत्य प्रस्थिति से अवगत करा सकें इस प्रकार की कई बातें हैं जिनसे भूगोल का महत्व तथा उस का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। इसी कारण इन दिनों छात्रों की रुचि भुगोल से बढ़ गई है।

कई क्षेत्रों में पहले बड़ी वर्षा हुआ करती थी जिसके कारण लोग कई सप्ताह अपने घरों में दपक जाया करते थे परन्तु वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ कि अब वहां वर्षा तथा बाढ़ की कमी आ गई? भूत में किसी क्षेत्र में हिमपात अत्यधिक हुआ करता था परन्तु क्या कारण है कि अब वहां हिमपात कम हो रहा है? भूगोल के छात्रों के लिये आवश्यक है कि वर्षा अथवा हिमपात में कमी के कारणों पर ध्यान दें। संप्रति प्रद्वेषण प्रकोप से केवल भारत ही नहीं पूरा संसार दो चार है, ऐसे में प्रद्वेषण से सुरक्षा के लिये क्या करने की आवश्यकता है? यदि भूगोल के छात्र इस ओर ध्यान दें तो सरलता पूर्वक इस का समाधान ढूंढा जा सकता है। आज संसार की जन संख्या बड़े बेग से बढ़ रही है। विश्व गोत्र बढ़ती जनसंख्या से व्याकुल है। वह जनसंख्या की रोक थाम के लिये नाना प्रकार के उपाय कर रही है परन्तु अभी तक वह शुद्ध बिन्दु तक नहीं पहुंच सकी है, यदि भूगोल के विद्यार्थी इसे विश्व प्रस्थिति पर समझने की चेष्टा करें तो न केवल इस विषय में उनकी रुचि बढ़ेगी अपितु इसी बहाने वह भारत में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की सूक्ष्मता भी जान सकेंगें भूगोल में कुशलता के साथ साथ उसके मौलिक बिन्दों तथा विषय को समझने के लिये निरंतर कक्षाओं के अतिरिक्त भूगोल विशेषज्ञों से मिलना भी आवश्यक है। वास्तव में भूगोल के अध्ययन में मानचित्र, चार्ट, टेबुल (सूचियां) तथा आकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कक्षाओं में अध्यापकगण विषय की सूक्षमता से छात्रों को बड़ी सीमा तक अवगत करा देते हैं, साथ ही मानचित्र के प्रयोग की तकनिक भी बताते हैं ताकि छात्र मानचित्र का प्रयोग भली भांति जान जाएं। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे कथा, कहानी के समान नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि भूगोल का हर उध्याय एक दूसरे से जुड़ा होता है, अतः भूगोल के छात्रों को पत्रक बनाते समय विश्व मानचित्र को अवश्य समक्ष रखना चाहिये, वह मूल तथा मानचित्र को आधार बनाकर ही पत्रक बनाएं भूगोल में "फील्ड स्टडी प्रेक्टीकल" द्वारा विषय का और गहराई तथा सूक्षमता से अध्ययन किया जा सकता है। वैसे तो कई भूगोल ज्ञाताओं ने भारत में जन्म लिया जिन्होंने भारतमाता का नाम विश्व स्तर पर प्रकाशित किया वर्तमान काल में प्रोफेसर इमर टेस, मुहम्मद शफीअ को मुस्लिम यूनीवर्सटी के भूगोल विभाग के गौरवमय आदरणीय विशक्षकों में जाना जाता है। भूगोल में उन की मूल्यवान सेवाओं पर उनको कई स्वदेशी तथा विदेशी सम्मानों तथा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भूगोल छात्रों के चाहिये कि उनसे भेंट करें तथा उन के विस्तृत अनुभवों, निरीक्षणों के प्रकाश में भूगोल के मर्मों तथा रहस्यों से परिचित हो सकें।

❑❑

अनुरोध

आदरणीय लेखकों से अनुरोध है कि वह पन्ने के एक ओर लिखें, सरल लिखें, स्पष्ट लिखें।

प्रिय पाठकों से अनुरोध है कि वह जब तब एक पोस्ट कार्ड द्वारा अपने परामर्श दान करें और अगर उन को सच्चा राही अच्छा लग रहा है तो कम से कम एक खरीदार बनाने की चेष्टा करें।

धान्यवाद

(सम्पादक)

कुरआन की पारिभाषिक शब्दावली

डॉ0 मुहम्मद अहमद

अनसार– 'नासिर' शब्द का बहुवचन है। नासिर के माने मददगार, सहायक के हैं। अतः अनसार के माने हुए सहायता करने वाले, मदद करने वाले।

इस्लाम में 'अनसार' उन मदीनावासी मुसलमानों को कहा गया है, जिन्होंने हुज़ूर (सल्ल.) को और आपके मक्की साथियों को मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचने पर अपने घरों में ठहराया था और उनकी हर प्रकार से सहायता की थी।

अज़ाब– दण्ड, सज़ा, कष्ट, दुख, यातना। अल्लाह उन लोगों को जो उसकी निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और अल्लाह की आज्ञा को नहीं मानते, सांसारिक और पारलौकिक जीवन में अज़ाब देता है।

अंतिम दिन– इससे अभिप्रेत वह दिन है जब अल्लाह लोगों के मामलों का फ़ैसला कर देगा और उन्हें उनके भले–बुरे कर्मों का पूरा–पूरा बदला देगा।

कुरआन में इसे 'यौमुल आख़िर' कहा गया है।

अरफ़ात– मक्का नगर से 9 मील दूर पूरब की ओर एक विस्तृत मैदान है। हज करने वालों के लिए अरबी महीना 'ज़िलहिज्जा' की 9वीं तिथि को यहाँ पहुँचकर ठहरना अनिवार्य है।

अर–रसवाले– एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख कुरआन में 'आद' और 'समूद' जातियों के साथ हुआ है। एक स्थान पर 'अर–रसवालों' के साथ हज़रत नूह (अ.) की जाति का उल्लेख हुआ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार 'अर–रस' किसी स्थान विशेष का नाम है। यूँ अरबी में 'अर–रस' पूराने कुएँ या अंधे कुएँ को कहते हैं।

अर्श– सिंहासन, तख़्त, ईश्वर का सिंहासन। ईश्वर के राजसिंहासन पर विराजमान होने का एक स्पष्ट अर्थ यह है कि उसने विश्व की व्यवस्था और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली।

अल–आराफ़– इससे अभिप्रेत विशिष्ट ऊँचे स्थान हैं जिन पर अल्लाह के विशिष्ट प्रिय बन्दे पदासीन होंगे।

अल्लाह– ईश्वर, ख़ुदा। अल्लाह शब्द वास्तव में 'अल इलाह' था जो परिवर्तित होकर अल्लाह हो गया। 'अल' अरबी भाषा में उसी प्रकार प्रयुक्त होता है जैसे अंग्रेजी में किसी शब्द से पहले The शब्द लगाकर उसे विशिष्टता प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार अल्लाह से अभिप्ररित एक प्रमुख और विशिष्ट इलाह (पूज्य) हुआ। अल्लाह आरंभ से ही उसी सत्ता का नाम रहा है जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, विश्व का रचयिता ओर सबका स्वामी और पालनकर्ता है।

धात्वर्थ की दृष्टि से 'इलाह' उसे कहा जयेगा जो सर्वोच्च और रहस्यमय हो, हमारी आँखें जिसे पाने में असफल रहें, जिसकी पूर्णरूप से कल्पना भी न कर सकें, जो मनुष्य का शरणदाता हो, जिसकी ओर वह पूर्ण अभिलाषा से लपक सके, जिसे वह संकटों में पुकार सके, जो शांति प्रदान कर सकता हो, जो बन्दों की ओर प्रेमपूर्वक बढ़ता हो और जिसकी ओर बन्दे भी प्रेम से बढ़ सकें, जो मुनष्य का प्रिय और अभीष्ट हो, जिसे वह अपना आराध्य और पूज्य बना सकें। ये समस्त विशेषताएँ केवल 'अल्लाह' ही में पाई जाती हैं। इसलिए वास्तव में वही अकेला 'इलाह' और पूज्य है।

वेद में भी 'ईल्य' शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका धात्वर्थ 'पूजनीय' ही होता है। (देखें ऋग्वेद 1–1–2)

इबरानी भाषा में भी 'ईल' शब्द अल्लाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे–इसराईल, जिसका अर्थ होता है 'अल्लाह का बन्दा'।

अल–हिज्र– यह समूद जाति का केन्द्रीय नगर था। मदीना से तबूक जाते हुए मार्ग में यह स्थान पड़ता है। इस नगर के खण्डहर आज भी मिलते हैं।

अस्र– (1) दिन का चौथा पहर। (2) वह नमाज़ जो थोड़ा दिन रहने पर पढ़ी जाती है। इसका समय दिन डूबने तक रहता है।

अरबी में 'अस्र' वास्तव में 'काल' को कहते हैं। इसमें काल के तीव्र

गति से बीतने का संकेत होता है। यह शब्द प्रायः बीते हुए समय के लिए प्रयुक्त होता है इसी लिए दिन के आख़िरी हिस्से को, जब दिन गुज़रकर मानो बिलकुल निचुड़ जाता है, अस्र कहते हैं।

आद–अरब की एक प्राचीन जाति। अरबी के प्राचीन काव्य में इस जाति का अधिक उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई थी, उसी प्रकार संसार से इसका मिट जाना भी लोकोक्ति बनकर रह गया।

यह जाति 'अहक़ाफ' क्षेत्र में बसती थी जो हिजाज़, यमन और यमामा के बीच पड़ता है। आजकल यह गैर आबाद है। हजरत नूह (अलै0) की जाति के विनष्ट होने के पश्चात यही जाति हर प्रकार से उसकी उत्तराधिकारी थी। इस जाति के लोग ऊँचे–ऊँचे स्तंभोंवाले भवनों का निर्माण करते थे। इनके यहाँ हज़रत 'हूद' (अलै.) को पैग़म्बर बनाकर भेजा गया था, किन्तु दुर्भाग्य से यह जाति संमार्ग पर न आ सकी और विनष्ट होकर रही।

आख़िरत– परलोक, पारलौकिक जीवन। कुरआन के अनुसार वर्तमान लोक की अवधि सीमित और निश्चित है। एक समय आएगा जबकि इस सृष्टि की व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाएगी। फिर अल्लाह एक नए लोक का निर्माण करेगा, जिसके नियम वर्तमान लोक के नियम से नितांत भिन्न होंगे। जो कुछ आज छिपा हुआ है, उस लोक में प्रत्यक्ष हो जाएगा। संसार में जो कुछ लोगों ने भला–बुरा किया होगा, वह उनके सामने आ जाएगा। अल्लाह के आज्ञाकारी लोगों का ठिकाना जन्नत (स्वर्ग) होगी और अल्लाह के विद्रोही जहन्नम (नरक) में डाल दिए जाएँगे।

आयत– निशानी, चिह्न, संकेत आदि। कुरआन में 'आयत' शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है–

(1) कुरआन ने प्राकृतिक लक्षणों, तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को भी आयत कहा है। इसलिए कि इनसे हमें उन सच्चाइयों का पता मिलता है जो इस भौतिक जगत के पीछ क्रियाशील है।

(2) वे चमत्कार जिन्हें अल्लाह के पैग़म्बर अपने पैग़म्बर होने के प्रमाण स्वरूप लोगों को दिखाते थे।

(3) कुरआन का वाक्यांश या वाक्य को भी आयत कहा गया है। कुरआन के वाक्यों में जो विलक्षणता और विशेषता पाई जाती है वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुरआन का अवतरण अल्लाह की ओर से हुआ है और वह ईशवाणी है। आयत और प्रमाण में अंतर है। प्रमाण वास्तव में आयत ही पर निर्भर करता है।

इनजील– यह यूनानी शब्द है। इसका शब्दार्थ है– 'शुभ सूचना'। हजरत ईसा मसीह (अलै.) आसमानी बादशाहत या अल्लाह की बादशाहत की शुभ सूचना देते थें। ईसाइयों के मतानुसार इसी लिए ईसा पर अवतरित होनेवाली किताब को इनजील कहा जाता है। किन्तु मुसलमानों के विचार में इनजील इसलिए शुभ सूचना है कि उसमें हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के आगमन की सूचना दी गई है और खुदा की बादशाहत का सम्बन्ध भी वास्तव में उनके आगमन से ही है।

इद्दत– गिनती। परिभाषा में इद्दत उस समय को कहते हैं जिसके बीतने से पहले विधवा या तलाक पाई हुई स्त्रियाँ दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं।

पति के देहान्त हो जाने पर इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन हैं और तलाक़ पाई हुई स्त्रियों की इद्दत की अवधि तीन बार माहवारी आने तक है। तीन महीने की इद्दत उन बूढ़ी स्त्रियों की है जो ऋतुस्राव से निराश हो चुकी हों। उन लड़कियों की इद्दत भी तीन महीने रखी गई हैं जो अभी रजवती नहीं हुई हैं। गर्भवती स्त्रियों की इद्दत बच्चा पैदा होने तक है।

इबलीस– अत्यंत निराश, शोकग्रस्त, इनकार करनेवाला।

यह उस जिन्न का उपनाम है जिसने अल्लाह के आदेश की अवहेलना करके हजरत आदम (अलै0) के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और फिर यह निश्चय किया कि वह आदम की संतान को सत्य–मार्ग से विचलित करने का प्रयास करता रहेगा।

इबादत– दास्यभाव, विनम्रता, विनीति, किसी के आगे बिछ जाना, पूर्णरूप से झुक जाना आदि।

इबादत में प्रेम और लगाव का अर्थ भी सम्मिलित है। इबादत का सम्बंध मानव के संपूर्ण जीवन से है। इसलिए इबादत का अर्थ जहाँ

पूजा, उपासना होता है वहीं यह शब्द बन्दगी, दासता और आज्ञापालन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है

इलाह– पूज्य, आराध्य, प्रभु, ईश्वर। (देखिए 'अल्लाह')

इशा– रात का अंधकार, रात का पहला पहर। वह नमाज़ जो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम की लालिमा समाप्त होने के बाद पढ़ी जाती है। इसका समय प्रातःकाल के पौ फटने से पहले तक रहाता है, किन्तु उत्तम यह है कि यह नमाज़ रात्रि के प्रारंभिक भाग में पढ़ ली जाए।

इस्लाम– विनम्रता, विनीत, आज्ञापालन, आत्मसमप्रण स्वेच्छापूर्वक अधीनता स्वीकार करना आदि। अल्लाह के आगे अपने आपको डाल देने और उसकी आज्ञा के पालन करने ही का दूसरा नाम इस्लाम है।

इस्लाम का दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है सुलह, शांति, कुशलता, संरक्षण शरण आदिं हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने कहा है: "इस्लाम ग्रहण करो, (तबाही से) बच जाओगे।" आपने यह भी कहा है: "जो व्यक्ति भी इस (इस्लाम) में आया सलामत (सुरक्षित) रहा।"

इहराम– हज करने वाले मक्का नगर पहुँचने से पहले एक निश्चित स्थान पर स्नान करके एक विशेष प्रकार का फ़क़ीराना वस्त्र धारण कर लेते हैं– और तलबिया (एक विशेष दुआ) कहते हैं– यही इहराम है। इस वस्त्र में केवल एक तहमद (बिना सिली हुई लुंगी) और एक चादर होती है जिसको ऊपर से ओढ़ लेते हैं। औरतों के लिए इहराम सिले हुए वस्त्र ही हैं। इस वस्त्र के धारण करने के पश्चात बहुत–सी चीज़ें आदमी पर हराम हो जाती हैं जो सामान्य अवस्था में हराम नहीं होतीं। जैसे सुगंध का प्रयोग ,बाल कटवाना, साज–सज्जा और पति–पत्नी प्रसंग आदि। इन चीज़ों के हराम होने ही के कारण इस वस्त्र को इहराम कहा जाता है। इहराम की हालत में यह पाबंदी भी है कि किसी जीव का वध न किया जाए और न किसी जानवर का शिकार किया जाए और न ही किसी शिकारी को शिकार का पता बताया जाए।

ईमान– विश्वास, आस्था, मानना। ईमान वास्तव में पुष्टि करने और मानने को कहते हैं। इसका विलोम है इनकार, झुठलाना, कुफ़्र आदि जबकि विश्वास का विलोम होता है शंका, संदेह, अविश्वास।

ईमान लाना– मानना, विश्वास करना, स्वीकार करना। उन बातों को मानना जिनको मानने की शिक्षा इस्लाम देता है। जैसे अल्लाह पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान, आख़िरत (परलोक) पर ईमान आदि।

ईसाई– ईसा मसीह (अलै.) के अनुयायी होने का दावा करने वाले लोग।

उमरा– निर्माण, शोभा, आबादी। परिभाषा में उमरा भी हज की तरह एक इबादत है जो काबा के दर्शन के साथ की जाती है। हज और उमरा में अन्तर है। हज सामर्थ्यवान के लिए अनिवार्य है किन्तु उमरा अनिवार्य नहीं। हज का समय निश्चित है, किन्तु उमरा किसी भी समय कर सकते हैं। हज सामूहिक रूप से करना होता है, उमरा अकेले अदा कर सकते हैं। उमरा में हज की कुछ ही रीतियों का पालन करना पड़ता है।

उम्मी– जो व्यक्ति या जाति शिक्षित न हो, जिस जाति के पास कोई आसमानी किताब न हो।

एतिकाफ़– एकांतवास। कुछ समय, विशेष रूप से रमज़ान के अंतिम दस दिन मस्जिद में एकांतवास करना और अल्लाह के स्मरण और उसकी इबादत में लग जाना। एतिकाफ़ की दशा में केवल कुछ विशेष ज़रूरत से ही आदमी थोड़ी देर के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है।

ऐकावाले– ऐका तबूक का प्राचीन नाम है। ऐका का शाब्दिक अर्थ घना जंगल होता है। मदयन वाले और ऐकावाले एक ही नस्ल के दो क़बीले थे। इनके क्षेत्र परस्पर मिले थे। व्यापार इनका पेशा था। दोनों ही क़बीलों के मार्गदर्शन के लिए हज़रत शुऐब (अलै.) को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था।

कफ़्फ़ारा– प्रायश्चित। किसी गुनाह के दोष से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला उपाय धार्मिक कार्य। कफ़्फ़ारा का शाब्दिक अर्थ है छिपाने वाली वस्तु। शुभ कार्य या नेकी गुनाह को ढक लेती हे और उसके प्रभाव को मिटा देती है। इसी पहलू से उन कार्यों को कफ़्फ़ारा कहा गया है जो दोष मुक्त होने के

लिए किए जाते हैं। विभिन्न गुनाहों का कफ़्फ़ारा कुरआन से निश्चित किया गया है।

काफ़िर– कुफ़्र करनेवाला, इनकार करनेवाला धर्मविरोधी, सच्चाई को छिपानपेवाला, अकृतज्ञ। वे लोग जो उन सच्चाइयों को मानने और स्वीकार करने से इनकार करते हैं जिनकी शिक्षा अल्लाह और रसूल ने दी है।

काबा– मक्का में स्थित वह प्रतिष्ठित एवं पवित्र घर जिसकी दीवारें अल्लाह के आदेश से हज़रत इबराहीम और उनके बेटे हज़रत इसमाईल (अलैहि.) ने खड़ी की थीं। इस घर को अल्लाह ने संपूर्ण मानव–जाति के लिए धर्मकेन्द्र नियत किया है। इसी की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है।

किताब– यह शब्द कुरआन में कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

(1) अल्लाह का कलाम (वाणी) जो उसने रसूलों पर उतारा।

पूरी पुस्तक को भी किताब कहते है और उसके किसी खण्ड या भग को भी किताब कहते हैं।

(2)आदेश, हुक्स, अनिवार्य धर्मविधान, क़ानून, शरीअत।

(3) अल्लाह का वह अभिलेख (Record) जिसमें प्रत्येक चीज़ अंकित है।

(4) वह किताब जिसमें उसके फ़ैसले अंकित है।

(5) पत्र के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है।

(6) वह कर्मपत्र जिसमें मनुष्य के उपने अच्छे–बुरे कर्मों का विवरण दिया जाएगा, अच्छे लोगों को कर्मपत्र उनके दाहने हाथ में और बुरे लोगों को उनका कर्मपत्र उनके बाएँ हाथ में दिया जाएगा।

(7) नियति, भाग्य, तक़दीर, पूर्व, निर्धारित बात।

किताबवाले (अहले किताब)–वे लोग जिन्हें अल्लाह की ओर से किताब प्रदान हुई थी। यह संकेत है यहूदियों और ईसाइयों की ओर जिन्हें अल्लाह ने तौरेत और इनजील नामक किताबें प्रदान की थीं।

क़िबला– वह चीज़ जो आदमी के सम्मुख रहे और जिसकी ओर असका ध्यान आकृष्ट है। परिभाषा में इससे अभिप्रेत वह दिशा है जिसकी ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है अर्थात काबा।

क़िबती– मिस्र के प्राचीन निवासी। ये बहुदेववादी थे। मूर्तियाँ पूजते थे। मिस्र में इसराईल की संतान जब दासता का जीवन जी रही थी, उस समय जिस गिरोह का देश पर शासन था असका सम्बन्ध इसी क़िबती जाति से रहा है।

क़ियामत– पुनरूत्थान, महाप्रलय। एक ऐसे दिन से अभिप्रेत है जब वर्तमान लोक की व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाएगी। सारे जीवधारी मर जाएँगे। इसके पश्चात अल्लाह एक दूसरी सृष्टि की रचना करेगा। सारे लोग पुनः जीवित करके उठाए जाएँगे और उन्हें उनके अपने कर्मों का बदला दिया जाएगा। यही दिन क़ियामत का होगा।

क़िसास– हत्यादंड। क़िसास का अर्थ है खून का बदला। क़त्ल करने वाले हत्यारे को क़िसास में क़त्ल कर दिया जाएगा। क्षमादान की स्थिति में मारे गए व्यक्ति के वारिसों को कुछ माल दिलाया जाएगा। क्षमा करने का अधिकार मारे गए व्यक्ति के वारिसों को प्राप्त होगा। क़िसास को लागू न करना पूरे समाज के लिए ख़तरे की बात हैं इसी लिए कुरआन में आया है: "क़िसास में तुम्हारे लिए जीवन है।"

कुफ़्र– अधर्म, इनकार, अकृतज्ञता। कुफ़्र का अर्थ है ढँकना, छिपाना, परदा डालना, इस्लाम का इनकार करना। इस्लाम मानव का स्वभाव है। इस्लाम का इनकार करनेवाला वास्तव में अपनी उस सहज और विमल प्रकृति पर अज्ञान का परदा डालता है जिसको लेकर वह पैदा हुआ है। कुफ़्र शब्द 'शुक्र' (कृतज्ञता) और ईमान दोनों शब्दों का विलोम है। अल्लाह के उपकार और कृपा के इनकार से बढ़कर कृतघ्नता और क्या होगी! इसी लिए इसे कुफ़्र कहा गया है।

कुरआन– कुरआन का अर्थ होता है पढ़ना–अल्लाह की अंतिम किताब का नाम जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर उतरी है। इस किताब का नाम ही यह बता रहा है कि यह किताब इसलिए अवतरित हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए और संसार के सारे लोग इसे पढ़कर अपने जीवन के मार्ग का निर्णय करें। इस किताब को कुरआन कहना ऐसा ही है जेसे किसी अत्यंत रूपवान व्यक्ति को 'सौन्दर्य' की उपाधि प्रदान कर दी जाए।

कुरबानी– बलिदान। जानवर को अल्लाह के नाम पर कुरबान करने की किया। ऐसी चीज़ जिसके द्वारा अल्लाह का सामीप्य प्राप्त किया जाए।

अल्लाह की प्रदान की हुई चीज़ को कृतज्ञतापूर्वक उसको अप्रित करना! कुरबानी की क्रिया वास्तव में अपने प्राण को अल्लाह को अप्रण करने का बाह्य प्रदर्शन है। जानवर का खून बहाकर वास्तव में यह प्रण किया जाता है कि यदि अल्लाह के लिए हमें उपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो इसमें कदापि कोई संकोच न होगा। कुरबानी आत्मा को शुद्ध करने का एक उपाय भी है। इसी लिए बलिदान की प्रथा समस्त प्राचीन जातियों में भी रही है और इसे अल्लाह को प्रसन्न करने का एक साधन समझा गया है।

कुरबानी हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की यादगार भी है। हज़रत इबराहीम (अलै0)ने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुरबान करना चाहा तो यह कुरबानी दूसरे रूप में क़बूल की गई हज़रत इबराहीम के बेटे इसमाईल (अलै0) को अल्लाह ने काबा की सेवा के लिए खास कर लिया।

जानवर की कुरबानी की हैसियत एक 'फ़िदया' की भी है जानवर की कुरबानी देकर हम अपनी जानों को छुड़ा लेते हैं, किन्तु हमारे प्राण हमें लौटाए नहीं जाते बल्कि हमारी अमानत में उन्हें सौंप दिया जाता है ताकि जब भी ज़रूरत पेश आए हम उन्हें अल्लाह के लिए निछावर कर दें। इस्लाम की वास्तविकता भी वास्तव में कुरबानी ही की है। इसमें व्यक्ति अपने आपको अप्रण करता है।

(देखें 'इस्लाम')

कुरैश– हज़रत इसमाईल (अलै0)की संतति में नज़्र बिन कनाना की नस्ल से सम्बन्ध रखनेवाला एक प्रतिष्ठित क़बीला। नबी (सल्ल.)इसी क़बीले में पैदा हुए।

खलीफ़ा– प्रतिनिधि, नायक, स्थानापन्न, किसी के बाद आनेवाला उत्तराधिकारी। प्रतिनिधि के अर्थ में खलीफा वह व्यक्ति होता है जो मालिक की प्रदान की हुई सत्ता और अधिकारों का प्रयोग उसके आदेशानुसार ही करता है वह अपने को स्वामी और मालिक नहीं समझता और वास्तविकता यह है कि मनुष्य को धरती में जो अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग भी अल्लाह के आदेशानुसार ही होना चाहिए।

खुला (खुल्अ)– इस्लाम ने यदि पुरुषों को तलाक़ का अधिकार दिया है तो स्त्रियों को 'खुला' का। स्त्री यदि समझती है कि उसका गुज़र–बसर वर्तमान पति के साथ नहीं हो सकता तो वह 'खुला' हासिल कर सकती है। स्त्री यदि खुला हासिल करना चाहती है तो उसे वह माल या उसका एक भाग पुरुष को लौटाना होगा जो उसे 'महर' के रूप में मिला था। स्त्री यादि पति के अन्याय के कारण खुला हासिल करना चाहती है तो पुरुष को सिरे से माल लेना ही उचित न होगा।

ग़नीमत– शत्रुधन। सत्य के लिए लड़ी जानेवाली लड़ाई में धर्मविरोधियों का जो धन और माल इस्लामी सेना के क़ब्जे में आता है उसे 'ग़नीमत' कहते हैं। इस्लाम केवल उसी माल को ग़नीमत कहता है जो रण–क्षेत्र में शत्रु की सेना से विजय पानेवालों के हाथ आता है। ग़नीमत के माल में ग़रीबों, मुहताजों, असहाय और सर्वसाधारण जनता की भलाई के लिए पाँचवां भाग निश्चित है।

(कुरआन 8:41)

ग़ैब– परोक्ष, अदृष्ट, छिपा हुआ, जिसके जानने का हमारे पास अपना कोई साधन न हो। ग़ैब शब्द रहस्य के लिए भी प्रयुक्त हुंआ है।

ग़ैब वास्तव में उन चीजों को कहा गया है जिन तक हमारी ज्ञानेन्द्रियों और हमारी अनुभव–शक्ति की पहुँच नहीं। जैसे–अल्लाह का अस्तित्व, फ़रिश्ते, जन्नत, जहन्नम, आख़िरत आदि।

ग़ैब या परोक्ष के विषय में सम्यक ज्ञान के बिना मानव–जीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। परोक्ष के प्रति सच्चा ज्ञान हमारी एक बड़ी आवश्यकता है परोक्ष के विषय में सही जानकारी नबियों द्वारा लाए हुए ईश–संदेश से ही प्राप्त होती है।

❑❑

किस्त 8

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
तअ़द्दुद	अनेकता	तअ़लीमी	शैक्षणिक	तफ़वीज़	प्रदान
तअ़द्दी	अत्याचार	तअ़लीमी इदारा	शैक्षणिक संस्था	तफ़हीम	प्रबोधन
तअ़रीफ़	सराहना	तअ़लीमी निसाब	पाठ्यक्रम	तक़ाबुल	तुलना
तअ़ज़ीर	दण्ड	तअ़मीर	निर्माण	तक़ाजा	मांग
तअ़ज़ीरात	दण्ड विधान	तअ़मील	निष्पादन	तक्बील	चुम्बन
तअ़ज़ियत	शोक प्रकाशन	तअ़वीज़	कवच	तक़द्दुस	पावनता
तअ़ज़ियती जलसा	शोक सभा	तअ़य्युश	ऐश्वर्य	तक़द्दुम	प्राथमिकता
तअ़स्सुब	पक्षपात	तअ़य्युन	निर्धारण	तक़दीम	अग्रसरता
तअ़तील	विराम	तग़ाफुल	उपेक्षा	तक़दीर	भाग्य
तअ़त्तुल	गति अवरोध	तग़य्युर	परिवर्तन	तक़दीस	पुण्यता
तअ़ज़ीम	सम्मान	तफावुत	अंतर	तक़र्रुर	नियुक्ति
तअ़फ्फुन	दुर्गन्ध	तफ़तीश	खोज	तुफ	धिक्कार
तअ़ल्लुक	सम्बंध	तफ़रिका	विभेद	अलम	कष्ट
तअ़ल्लुका	क्षेत्र	तफ़रीह	विनोद	अ़लम	झण्डा
तअ़ल्लुकादार	भू स्वामी	तफ़रीक	भेदभाव	बाद	हवा
तअ़ल्लुम	ज्ञानार्जन	तफ़सीर	व्याख्या	बअ़द	पश्चात
तअ़लीम	शिक्षा	तफ़सील	विस्तार	गाली	गाली
तअ़ल्ली	अभिमान	तफ़क्कुह	ज्ञान	ग़ाली	बहुमूल्य
तअ़लीमे बालिगां	प्रोढ़ शिक्षा	तफ़न्नुन	मनोरंजन	गुल	फूल
तअ़लीमे निस्वां	नारी शिक्षा	तफ़व्वुक़	श्रेष्ठता	ग़ुल	हल्ला

डाईलॉग (Dialogue) की आवश्यक्ता एवं लाभ

—मौ. सै. अबुल हसन अली

मित्रो, बन्धुओ और महानुभावो!

मैं आप सब को यहां आगमन का अपनी तथा अपने सब बुलाने वाले साथियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे युग और हमारे देश में राजनीतिक सम्मेलनो, पार्टियों के जलसों, बौद्धिक परिचर्चाओं और साहित्यक गोष्ठियों की कमी नहीं है। शायद ही कोई दिन खाली जाता हो कि कोई ऐसी बैठक न होती हो। पत्रकार सम्मेलनों की भी की भी कमी नहीं। मगर वे मुख्य उद्देश्यों से की जाती हैं, किन्तु उनमें विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान की नौबत की ही आती है। आवश्यकता है कि तकल्लुफ और संकोच से मुक्त होकर जिस तरह एक परिवार या एक मुहल्ले के लोग किसी जगह इकठ्ठे होकर निःसंकोच बातचीत करते हैं मित्रों और सम्बंधियों में शिकवा शिकायत होती है, गलतफहमियाँ दूर की जाती हैं, अपने परिवार या मोहल्ले की भलाई के लिये परामर्श करते है, बिछुड़े एक दूसरे से गले मिलते है उसी तरह हम कभी–कभी किसी केन्द्रीया स्थान पर जाम होकर मित्रता पूर्ण एवं निःसंकोच विचार विमर्श तथा विचारों का आदान प्रदान करें। इसी विचार के तहत डाईलाग को अधिक लाभदायक समझा गया है, और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। इसी विचार से आप महानुभावों को कष्ट दिया गया है।

चिन्ता और परेशानी की बात एवं गम्भीर स्थिति

सज्जनो! मनुष्य के लिये बीमारी कोई अस्वाभाविक चीज नहीं। किसी का बीमार पड़ जाना मानव स्वभाव के विपरीत नहीं बल्कि यह एक तरह से ज़िन्दगी की अलामत है। पत्थर गलती नहीं कर सकता, पेड़ गलती नहीं कर सकता। इन्सान ही गलती करता है। इसलिये गलती करना अधिक परेशानी की बात नहीं और इस पर निराश नहीं होना चाहिए। एक बड़े मानव समुदाय का किसी गलत रास्ते पर पड़ जाना अपनी तुच्छ इच्छाओंकी पूर्ति के पीछे दीवाना हो जाना मानव इतिहास के लिये भी और स्वंय मानव के लिये भी कोई विशेष चिन्ता की बता नहीं है। चिन्ता की बात यह है कि बिगाड़ से निबटने, और बिगाड़ पैदा करने वाली शक्तियों से आंखें मिलाने वाले, अपनी सुख–सुविधा को तज कर और अपनी इज्जत को खतरे में डालकर मैदान में उतरने वाले न मिलें, असल चिन्ता की बात यह है। इन्सान अनेक बार ऐसी बिगाड़ पैदा करने वाली ताकतों और साजिशों के शिकार हुए हैं और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इन्सानियत जल्द दम तोड़ देगी। लेकिन इतिहास साक्षी है कि ऐसे हर नाजुक अवसर पर ऐसे लोग मैदान में आ गये जिन्होंने डटकर हालात का मुकाबला किया और अपने जान की बाजी लगा दी। मानव सभ्यता का क्रम जो अभी तक जारी है, मात्र पीढ़ियों का क्रम नहीं बल्कि मानवीय गुणों के क्रम का नतीजा है जो हर युग में रहा है। मानवीय भावनायें, उच्च विचार, नैतिक शिक्षा तथा इनके फलने फूलने के साहस और बलिदान की भावना जो इस समय तक चली आ रही है वास्तव में उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो बिगड़े हुए हालात से मैदान में आये और उन्होंने उस समय की चुनौती को कुबूल किया और जमाने की कलाई मोड़ दी ऐसे लोगों की बदौलत मानवता जीवित है। हर युग के कवि, हर जमाने के साहित्यकार और प्रत्येक काल के समय के बिगाड़ की शिकायत करते चले आये हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद भी मानवीय गुण, मानवीय भावनायें और अनेक इन्सान मौजूद हैं। यह वास्तव में उन लोगों की संघर्ष का प्रतिफल है जो उस समय अपने स्वार्थ को भूल कर मैदान में आये और अपने–अपने खानदान के लिए और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा मोल लिया और जमाने का रुख मोड़ दिया। ऐसे लोगों के प्रयास और बलिदान के पानी से मानवता की खेती हरी हो गई।

मानवता की सुरक्षा की वास्तविक जमानंत

मानवता को जीवित रखने के लिए बीर बाँकुरे, जाँबाज और सहृदय लोगों की जरूरत है जो चोट खाया दिल, आँसू भरी आँखे रखते हैं। और जो विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करे और समय की धारा को बद्लने के लिए जान की बाजी लगा दें। जब कभी इस तत्व का अभाव होता है तो पूरा समाज खतरे में पड़ जाता है। भले ही वह देखने में स्वस्थ्य दिखाई पडे जैसे एक मोटा ताजा आदमी जिसके अन्दर बीसियों प्रकार की बीमारियां हों लेकिन उसका मोटापा सब पर पर्दा डाले रहता है और देखने वालों को धोखा होता है और लोग समझते हैं कि यह व्यक्ति बहुत तनदुरुस्त है लेकिन वास्तव में वह बीमारियों का ढ़ेर है।

समाज का सबसे बड़ा खतरा जुल्म का मिजाज पैदा हो जाना, उससे बढ़कर उसे नापसन्द करने वालों एवं उसे रोकने के लिए जान की बाजी लगा देने वालों की कंमी है।

किसी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसके अन्दर जुल्म का मिज़ाज पैदा हो जाये और इससे अधिक खतरनाक बात यह है कि इस अत्याचार की प्रवृति का नापसन्द करने वाले उस समाज में बहुत ही कम या नहीं के बराबर हों। और ढूंढने से भी न मिलें। पूरे समाज में गिने चुने लोग भी ऐसे तो हों जो इस अत्याचार और अनाचार को नापसन्द करते हों। और अपनी ना पसन्दीदगी का एलान करते हों। घर बैठ कर नापसन्द करने वाले तो मिल जायेंगे जो चार छः लोगों की मौजूदगी में कह दे कि यह ठीक नहीं हो रहा है। किन्तु अपनी नापसन्दीदगी का एलान करते हुए मैदान में उतरने वाले कुछ भी न हों। ऐसे लोगों की किसी समाज में जब कमी होती है तो उस समाज को कोई ताकत नहीं बचा सकती है जब किसी समाज में जुल्म फैलने लगा हो और पसन्दीदा निगाहों से देखा जाने लगा हो, जब अत्याचार का मापदण्ड यह बन गया हो कि जालिम कौन है? उसकी कौमियत क्या है? वह किस वर्ग का है? उसकी भाषा क्या है? किस बिरादरी का है? तो मानवता के लिए एक खतरा पैदा हो जाता है। जब मानवता को इस तरह के खानों में बाँटा जाने लगे और जालिम की कौमियत देखी जाने लगे, जब उसका मजहब पूछा जाने लगे। जब आदमी अखबार में किसी फसाद या किसी जुल्म या ज्यादती की खबर देखे तो उसकी निगाहें यह तलाश करे कि किस सम्प्रदाय की तरफ से यह बात शुरू हुई इसमें नुकसान किस को पहुँचा जब जुल्म को नापने और जालिम होने का फैसला करने का यह मापदण्ड बन जाता है कि वह किस कौम, सम्प्रदाय और बिरादरी का है तो उसवक्त समाज को कोई ताकत कोई जेहानत, सरमाया और बड़े–बड़े मन्सूबे और (योजनायें) बचा नहीं सकते।

❑❑

ननों का नरकीय जीवन

चर्च के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किये गये अध्ययन ने रेखांकित किया है कि केरल में पिछले 14 बरसों में 15 ननों ने आत्महत्या की, जो अपने घुटन भरे जीवन से परेशान थीं। यहां भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर दबाव अधिक है। एक ईसाई कार्यकर्ता के0 के0 थॉम्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने इन सुझाओं को पेश किया था। याचिकर्ता का कहना था कि सरकार द्वारा नन बनने की न्यूनतम आयु निर्धारित होनी चाहिए। उनके अनुसार, आम तौर पर जब बच्चियां छोटी होती हैं और निर्णय लेने की अवस्था में नहीं होती हैं, तभी उन्हें घर वाले नन बनने के लिए भेज देते हैं

● अंजलि सिन्हा

राष्ट्रीय सहारा, 22 अगस्त 2008